सितम्बर 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

योजना : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन 3
साक्षात्कार : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 9
विशेष लेख : ग्राम चेतना के परिष्कार से विकास की प्रतीक 11
साक्षात्कार : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री गोपाल भार्गव 24
आयोजन - विश्व हिन्दी सम्मेलन : दुनिया में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है - प्रधानमंत्री 31
सांसद आदर्श ग्राम - अजनास : सहभागी लोकतंत्र का साझा प्रयास 33
आवास : मध्यप्रदेश में हर गरीब का होगा अपना घर 37
संपर्क : ग्रामीण सड़कों के लिए सात सौ उनचालीस करोड़ रुपये मंजूर 38
मनरेगा : मोबाइल एप से मनरेगा की मॉनीटरिंग 39
स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत : ग्राम पंचायतों को मिले सात सौ इकत्तीस करोड़ रुपये 40
पंचायत दर्पण : पंचायत दर्पण : एक बहुउपयोगी वेब पोर्टल 42
समग्र : समग्र पोर्टल से पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन 45
पंचायत गजट : गांधी जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन 47

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

हमारा भारत गाँवों में बसता है। देश का विकास तभी संभव है जब गाँवों का विकास होगा। गाँधीजी के सपनों का भारत के केन्द्र में गाँव ही रहे हैं। हमारे गाँवों के समग्र विकास की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' लागू की है। यह योजना आदर्श ग्रामों के विकास के लिए है। जिसके तहत प्रत्येक सांसद द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी एक ग्राम को गोद लिया गया और उस ग्राम को आदर्श ग्राम की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2014 को योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को 'योजना' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सांसद आदर्श ग्राम योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन त्वरित गति से हुआ है। निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रगति पर है। आदर्श ग्राम निर्माण की अवधारणा और प्रदेश की स्थिति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत को 'साक्षात्कार' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना एक अनूठी और सराहनीय योजना है जो गाँधीजी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पर आधारित लेखों को 'विशेष लेख' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है। 'साक्षात्कार' स्तंभ में हमने मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से बातचीत के अंश प्रकाशित किए हैं।

विगत दिनों 10 से 12 सितम्बर 2015 को मध्यप्रदेश में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वृहद कार्यक्रम की खबर को हमने आयोजन स्तम्भ में प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में सुदूर ग्रामीण अंचलों को सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सात सौ उनचालीस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि का उपयोग गांवों में सड़क निर्माण और उन्नयन में किया जायेगा। इस खबर को 'संपर्क' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

मनरेगा स्तंभ में हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मोबाइल एप द्वारा मॉनीटरिंग की खबर को प्रकाशित किया है। ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को साकार करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा 731 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस जानकारी को हमने स्मार्ट ग्राम-स्माट पंचायत स्तंभ में प्रकाशित किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों में डाटा बेस तैयार करने और लेखों के संधारण करने के लिए एक वेब पोर्टल 'पंचायत दर्पण' बनाया गया है, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं का डाटा बेस और वित्तीय लेखों का रखरखाव और आवंटन की जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस बहुउपयोगी वेब पोर्टल की जानकारी को हमने 'पंचायत दर्पण' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित समग्र पोर्टल पर सभी योजनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हैं जिसकी जानकारी को 'समग्र' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ अवसर पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन

मंत्रिपरिषद् के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान उपेंद्र जी कुशवाहा, मंचस्थ महानुभाव, सभी आदरणीय सांसद महोदय और सभी देशवासी,

देश आजाद हुआ तब से अब तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में सभी सरकारों ने अपने-अपने तरीके से प्रयास किये हैं। और ये प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिये। समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलते रहने चाहिये। बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिये, बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिये और यह न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिये, उस प्रक्रिया में प्राण-शक्ति भरने के लिये कुछ नये Element हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है।

हमारे देश में हर राज्य में 5-10, 5-10 गाँव जरूर ऐसे हैं जिनके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते, तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिये थे। और नहीं बने, कुछ ही बने, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है। सरकारी योजना के सिवा जो है वो ही इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की आत्मा है।

योजनाएं तो सभी गांवों के लिये हैं लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से Lead किया और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा गांव नहीं हैं। उससे भी ज्यादा अच्छे गांव हैं, लोगों ने बनाये हैं। आवश्यकता ये है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए।

आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी की जयन्ती का पावन पर्व है। आजादी के आन्दोलन में मुखर युवा शक्ति, और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न

रखते हुए रचनात्मक कामों में अपने आप को आहूत करते हुए, उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिये प्रेरणा बने हैं। जय प्रकाश जी की एक बात ... उनके विचारों पर गांधी, विनोबा की छाया हमेशा रहती थी। लोहिया की छाया भी रहती थी। उन्होंने एक बात कही थी कि ग्राम धर्म एक महत्वपूर्ण बात है और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव है और अगर ग्राम धर्म संभव है, तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का रास्ता अपने आप चुन सकता है।

महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आये। दो साल के भीतर-भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चम्पारन में जाकर के गांव के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जनभागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी के आन्दोलन का बीज गांव में बोया गया था, गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जयंती है। नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयाप्रभा नगर के विकास के लिये अपने आपको आहूत किया था। जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने मध्यप्रदेश के कई गांवों में, गांवों के जीवन को Self Sufficient बनाना, इस मकसद को लेकर उन्होंने काम किया था।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों का विजिट करने गये थे और उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य यह है, कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से, इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में Total तीन गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाये, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक दो और गांव हो जायें और आगे चलकर के फिर हर वर्ष एक गांव आदर्श करे। करीब-करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम तीन-तीन गांव करते हैं तो ढाई हजार गांव तक पहुंच पाते हैं।

इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिये कोई स्कीम बनाते हैं, और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम बने तो छः सात हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और, अगर एक ब्लॉक में, एक गांव अच्छा बन जाता है तो बात वहां रुकती नहीं है। अगल-बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भई देखो वहां यह हुआ, हम भी कर सकते हैं। यहां ये प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। इसका viral effect शुरू हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम किस प्रकास से इसकी नींव रखते हैं।

हमारे देश में लंबे अरसे से आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करने वाले, विकास के क्षेत्र में चर्चा करने वाले, एक बहस लगातार चल रही है। और वह चर्चा है कि भई विकास का model top-to-bottom हो कि bottom-to-top हो? यह चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम... चर्चा करनी भी चाहिए। उसमें से नई-नई चीजें निकलती हैं। लेकिन काम वालों का काम है - कि चलो भाई, हम कहीं से शुरू तो करें। तो top-to-bottom जाना है कि bottom-to-top जाना है, वह चर्चा जहां होती है, होती रहे। देखिए हम तो कम से कम bottom में बैठकर के एक गांव को देखें तो सही।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है, जिसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है, किसी भी दल का क्यों न हो, वह accountable होता है, उसे काम करते

रहना पड़ता है। हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाता है। दूसरा, उसकी शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगता है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा या नहीं, कह नहीं रहा। लेकिन इस प्रयोग के कारण... MPLADS fund होता है, उसमें भी होता क्या है? उसको, इलाके के लोग कहते हैं, मुझे यह चाहिए, यह चाहिए। फिर वो बांट देता है। सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई ज्यादा से ज्यादा गांव खुश हो जाएं ऐसा कर लेना जरा। छोटी-छोटी स्कीम... आखिरकार होता यही है।

ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक Focussed activity के द्वारा ये लगने लगेगा कि, हां भई, उस गांव के साथ आने वाले दशकों तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा कि, भई, पहले तो हमारा गांव ऐसा था लेकिन हमारे एक MP बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया।

आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या हैं? कमियां क्या हैं? और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है? ये सारी बातें, जब एक सांसद एक गांव को लेकर चर्चा शुरू करेगा, तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली हैं।

ये मैंने छोटा Risk नहीं लिया है। लेकिन बहुत समझदारी, जानकारी और अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ - एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा, सारी कमियां उभरकर सामने आएंगी। और फिर जाकर व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, "हां देखो यार! उस गांव में हमने इतना बदलाव किया तो सब जगह पर हम कर सकते हैं।" आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पर बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी जगह पर होगा। जहां टंकी वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ? हुआ! Output हुआ? हुआ! Outcome हुआ? नहीं हुआ! इसलिए, Outcome पर Focus देने के लिए एक बार सांसद, गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है।

महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आये। दो साल के भीतर-भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चम्पारन में जाकर के गांव के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जनभागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी के आन्दोलन का बीज गांव में बोया गया था, गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है। नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयाप्रभा नगर के विकास के लिये अपने आपको आहूत किया था। जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने मध्यप्रदेश के कई गांवों में, गांवों के जीवन को Self Sufficient बनाना, इस मकसद को लेकर उन्होंने काम किया था।

इसमें इतनी Flexibility है, इस कार्यक्रम में, कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले। हो सके तो तीन हजार, पांच हजार की बस्ती में हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800-2600 हैं तो लेना नहीं। और कहीं 5200 हो गए तो हाथ मत लगाओ। यह Flexible है लेकिन मोटा-मोटा अंदाज रहे कि तीन हजार-पांच हजार की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था गढ़ी जाए। जहां पहाड़ी इलाके हैं, Tribal इलाके हैं वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां एक हजार और तीन हजार के बीच की संख्या है।

सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाए वो कोई भी गांव Select कर ले। वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर के करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी Select करना बाकी है। आज एक Guidelines आ गई हैं। मैं भी बनारस जाऊंगा, बात करूंगा और सबका मन बनाकर के मैं भी एक गांव Select करूंगा। ये पूरी योजना.. आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल Supply-driven रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई। फिर वही Inject करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा Supply-driven से Shift करके Demand-driven बनाना चाहते हैं। गांव में urge पैदा हो। गांव कहे कि हां, ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं, गांव में एक Bridge बना देना है या गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना देना है। इस प्रकार का नहीं है।

हमारी आज की स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताए, गांव के स्कूल हों, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजाघर हो - कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था।

मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद, शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वालों में बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा, जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में... Sorry, 400 से अधिक जिलों में... मुझे हिन्दुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे, मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000

से अधिक गांव ऐसे होंगे, जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा। और इसलिए मैं स्व-अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूँ। और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्वास पैदा करें। गांव को तय करवायें कि हां, ये करना है।

मैं बताता हूँ, यह काम आसान है साथियों। हमें मिजाज बदलने की आवश्यकता है। हमें जन-मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और सांसद महोदय भी, यूं Political Activity करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे, तो No Political Activity। पारिवारिक संबंध, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे। आप देखिए, चेतना आएगी, गांव जुड़ जाएगा। समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

हमारे यहां सरकार की योजना से मध्याह्न भोजन चलता है। अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्मदिन, अपने पिताजी की पुण्यतिथि, कुछ-न-कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनसे संपर्क कर कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपको जीवन का अच्छा प्रसंग हो तो आप परिवार के साथ स्कूल में आइए। घर से कुछ मिठाई-विठाई लेकर के आइए। और बच्चे जब मध्याह्न भोजन करते हैं, आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ साथ बांटिए। मुझे बताइए, Social Harmony का कितना बढ़िया Movement चल सकता है। At the same time, मध्याह्न भोजन की Quality में change लाने के लिए यह Input काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कोई बहुत बड़े circular की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। ये तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं?

गांवों में सरकार की योजना है, गोबर गैस के प्लांट लगाने की। होता क्या है, हम सबको मालूम है। कोई बेचारा एक-आध व्यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है। फिर साल, दो साल में वो स्मारक बन जाता है। अब ये स्मारक बनाना, कितना

मैं कभी सोचता हूं, कि गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल हम बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है। उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों न मनाएं? उस गांव के लोग पढ़े-लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों न आएं? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे, "यार अपने गांव में ये नहीं है, चलो मिलकर के ये कर दें। ये गांव में ये कर दें, ये कर दें।" ये जब तक हमारा मिजाज नहीं बने... और मैं मानता हूँ, आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थीं, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिये ये "एक" प्रयोग है। यही एक Ultimate है

बनाते रहोगे आप? लेकिन अगर मान लीजिए, गांव की ही गोबर बैंक बना दी जाए। एक जगह पर, गांव में जितना गोबर हो, जिस तरह बैंक रुपया जमा करते हैं, गोबर बैंक में गोबर जमा करा दें, उसका एक Common Gas Plant बने। पूरे गांव में Gas supply हो, धुएं से चूल्हे में काम करते-करते हमारी माताएं-बहनें परेशानी झेलती हैं, बिना खर्च में संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना मैं देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करे, जब खेती का मौसम आए तो उतना ही गोबर उसे वापस दे दिया जाए Fertilizer के रूप में। गांव की गंदगी जाएगी। Fertilizer मिल जाएगा। Gas मिल जाएगा और पूरा गांव साफ-सुथरा होने के कारण Health Parameter में सुधार आयेगा, वह Extra Benefit है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कि हम खुद Interest लेकर के गांव में एक माहौल बनाएं।

मैं कभी सोचता हूं, कि गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल हम बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है। उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों न मनाएं? उस गांव के लोग पढ़े-लिखे जितने शहरों में गए हैं उस खास दिन गांव में क्यों न आएं? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे, "यार अपने गांव में ये नहीं है, चलो मिलकर के ये कर दें। ये गांव में ये कर दें, ये कर दें।" ये जब तक हमारा मिजाज नहीं बने... और मैं मानता हूँ, आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थीं, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिये ये "एक" प्रयोग है। यही एक Ultimate है, ये अगर मैं सोचूंगा, तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूँ, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है। हर सोच पूर्णतया की ओर आगे बढ़ती है। इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी Ultimate नहीं है। जो जब तक हुआ, अच्छा है। जो आज हो रहा है, एक कदम आगे है। आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा। अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि एक... वहां की Requirement के अनुसार, लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करे। प्रेरित करके करवाए। मैं विश्वास से कहता हूं, 2016 के बाद जिस सांसद ने काम किया होगा वो अपने

रिश्तेदारों के लिए हमेशा उस गांव को तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाएगा। रिश्तेदारों को कहेगा कि चलो-चलो मैंने जो गांव बनाया है, देखने के लिए आइए। ये जो Satisfaction level है ना, वो किसी भी व्यक्ति को जीवन में समाधान देता है।

जयप्रकाश नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। मैं समझता हूं, आज के युग में ये हम लोगों के लिये प्रेरक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वभाव है, राजनीति का होना। ये आवश्यक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण हम परेशान हैं। गंदी राजनीति के कारण बदनामी हुई। पूरे राजनीतिक क्षेत्र की बदनामी हुई है। मुद्दा ये पार्टी, वो पार्टी नहीं है। एक विश्वास के माहौल को चोट पहुंची है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से मुक्ति, ये मार्ग नहीं है। मार्ग ये है, गंदी राजनीति की जगह उदार और अच्छी राजनीति इतनी तेजी से आए कि उसकी जगह ले ले। मैं मानता हूं, सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है।

उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या न करे, मेरी उस गांव के किसी नेता के साथ पटती हो या न पटती हो, इन सबसे परे होकर के, एक गांव के लिए ये सारे बंधन, सब गांव के बाहर छोड़कर आ जाऊंगा। यहां तो गांव एक Community है, वो एक सामूहिक समाज है, एक रस समाज है, एकत्व की अनुभूति से काम करने वाला है और सपनों को पूर्ति करने के लिए मैं एक catalytic agent के रूप में, मैं एक Facilitator के रूप में, मैं उनका साथी बनकर के काम कर सकता हूं क्या।

जब 2016 में, इस अनुभव के आधार पर, जब संसद में चर्चा होगी.. मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जो सांसद Parliament में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा - कितनी भी असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी उस सांसद के अनुभव को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा।

सांसद की बात का महत्व बढ़ जाने वाला है। कोई सरकार नकार नहीं पाएगी.. कि भई तुम तो फलानी पार्टी के हो, ठीक है आलोचना कर दो। नहीं होने वाला है.. क्योंकि वो कर रहा है, मैं उस गांव में गया था, मैं काम कर रहा हूं, मेरे गांव में ये दिक्कत आ रही है, आपकी सरकार की नीतियां गलत हैं, आपकी योजनाएं गलत हैं, आपके, अफसरों को समझ नहीं है... वो बोलेगा!

उस बोलने में वजन होगा, जो ताकत होगी वो सरकार की नीतियां बदलने के लिये कारण बन जाएगी और ये देश को... Bottom-to-top वाला जो रास्ता है न, वो उसी से चुना जाने वाला है। Academic world में Bottom to top, Top to bottom चर्चा होती रहेगी। हम कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं Supply-Driven नहीं, Demand-Driven हम विकास को ले जा सकते हैं। सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा विकास का रास्ता चुन सकते हैं क्या? सरकारी सहायताओं के साथ-साथ जन-भागीदारी के महत्व को बढ़ा सकते हैं क्या?

हम अभी एक आंध्र के गांव को देख रहे थे। इतने छोटे से गांव में उन्होंने 28 कमेटियां बनाई हैं। सारी कमेटियां functional हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मालाएं पहनने के लिए। सारी कमेटियां Functional हैं और उन्होंने

काम को करके दिखाया है। अगर हम ये प्रेरणा दें। और अगर आज सांसद के द्वारा, कल MLA के द्वारा, अगर हर वर्ष हम सात-आठ हजार गांवों को आगे बढ़ाते हैं, देखते-ही-देखते ऐसा Viral effect होगा कि हम पूरे ग्रामीण परिसर के विकास के Model को बदल कर रख देंगे। हम यह समझ कर चलें कि गांव के व्यक्ति के aspirations भी शहर के लोगों से कम नहीं हैं। वह दुनिया देख रहा है। वह अपनी Quality of life में बदलाव चाहता है। उसको भी बच्चों के लिये अच्छी शिक्षा चाहिए। उसको भी अगर long distance education मिलता है, तो उसको चाहिए।

अब हम मानो, कहते हैं कि भाई, Drip irrigation। पानी का संकट है दुनिया में कौन इंकार करता है? हर कोई कहता है, पानी का संकट है। क्या मैं जिस आदर्श ग्राम को चुनूंगा, वहां पर जितने किसान होंगे, वहां का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा, जहां पर मैं drip irrigation न लगवाऊं। सरकार की जितनी स्कीमें होंगी, वो लाऊंगा। बैंक वालों से बोल कर उनको Loan दिलवा दूंगा। लेकिन Drip irrigaion करके मैं उनके Product को बढ़ावा दे सकता हूं क्या? गांव की Economy बदल जाएगी। वहां भी पशुपालन होगा। Milk productivity बढ़े, पशु की स्थिति में सुधार आए, उसका scientific development हो- मैं अफसरों को लाऊंगा, समझाऊंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा। मैं बदलाव ला सकता हूँ।

मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर से MP चुनकर आए हैं - एक भी गांव नहीं है। मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र के नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप जिम्मा लीजिए। आप उसपे काम कीजिए। जो राज्यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्य के अंदर, जहां से वे चुनकर आए हैं, जो भी उनको मनमर्जी पड़े गांव select कर लें, जो Nominated MPs हैं, वे हिन्दुस्तान में जहां उन्हें ठीक लगे, कोई गांव पसंद करें। एक गांव को करें। लेकिन हम सब मिलके एक रचनात्मक राजनीति का द्वार खोलने का काम करेंगे और राजनीतिक छुआछूत से परे हो के काम करेंगे।

जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी का, राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। ये ऐसी पिछली शताब्दी की विचारधारा का प्रतीक है, जिनकी छाया किसी न किसी राजनीतिक जीवन पर आज भी है। सबकी सब पर नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी की किसी पर है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम इस काम को आगे बढ़ायें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर, जयप्रकाश जी के जन्म दिन पर इसकी guidelines पेश करेंगे। कुछ मित्रों ने मुझे उसी शाम को Email करके, कि मैंने एक गांव Select किया है, ऐसा मुझे बताया था। और वे भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं है। भाजपा के सिवा MP ने भी, कांग्रेस के MPs ने भी मुझे लिखकर के दिया है। तभी मुझे लगा था कि बात में दम है। राजनीति से परे होकर के सबको इसको गले लगा रहे हैं।

लेकिन बहुत सारे... जैसे मुझे, मुझे भी अभी गांव तय करना, मेरे इलाके में अभी बाकी है। क्योंकि मैं भी चाहता था कि Guidelines तय होने के बाद मैं, मेरे बनारस के लोगों से मिलकर के, बैठकर के, वहां के अफसरों से भी मिलकर के, बैठकर के एकाध गांव Select करूंगा। आने वाले 15-20 दिन में मैं जरूर कर लूंगा। लेकिन हम मिलकर के अपने यहां विश्वास जताएं कि हम करेंगे और उनको विश्वास भेजिए, कि आप MP रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक model बन रहा है। और फिर और गांववालों को उस model को दिखाने के लिये लाने का प्रबंध करोगे तो अपने आप में बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास.. यह मूल मुद्दा है। अपने प्रयत्नों से, अपने हुक्म से नहीं। चिट्ठी लिख दी ये बात छूटी, ये ऐसा नहीं है। ये काम, मैं एक MP के नाते सवाल पूछ लूं पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। हम मिलकर के एक गांव करेंगे।

मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम आजमा रहे हैं। मैं सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है और सबके मार्गदर्शन में .... यह योजना कोई Ultimate नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे। बहुत सुधार आएंगे, बहुत Practical बातें आएंगी। लेकिन ये रुपए-पैसों वाली योजना नहीं है। यह योजना People-Driven है, People's Participation से होने वाली है और सांसद मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ायें, इसी अपेक्षा के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी प्रांतों में से है जिसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में तेजी दिखाई है। इसका श्रेय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। उन्होंने योजना के आते ही न केवल संबंधित विभागों, जन प्रतिनिधियों और सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठक ली बल्कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी आए इसकी समय-समय पर समीक्षा भी की इसलिए मध्यप्रदेश के लगभग सभी सांसदों ने गाँवों का चयन कर प्रथम चरण के कार्य को पूरा कर लिया है। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर मध्यप्रदेश पंचायिका के लिये की गयी बातचीत के अंश।

मध्यप्रदेश को आदर्श बनाने का संकल्प

प्रश्न- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की है इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर- देखिये हमारे प्रधानमंत्री भारत के पुनर्निर्माण की सोच रखते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि यह प्रत्येक नागरिक और लोक सेवक का कर्तव्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसी सोच से उपजी दूरदर्शी योजना है। यह गांवों को आदर्श बनाने की रचनात्मक शुरुआत है। एक आदर्श ग्राम का प्रभाव आसपास के गांवों पर भी पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और विकास के आधारभूत सिद्धांतों से गहरे परिचित हैं। उनका अध्ययन भी है और अनुभव भी। इससे हमारे गांवों में आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध होंगी। मुझे विश्वास है कि यह योजना गांवों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होगी।

प्रश्न- इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति मध्यप्रदेश में क्या है?

उत्तर- हमने मध्यप्रदेश में इस योजना को प्राथमिकता दी है। तेजी से काम चल रहा है। सभी सांसदों ने गांवों का चयन कर लिया है। गांव के विकास मॉडल तैयार हो गए हैं। अनेक सांसदों ने तो अपने चयनित ग्रामों में सर्वेक्षण के अनुसार गांव के विकास की योजना भी बना ली है। विकास योजनाओं की ग्राम सभा बैठकों में मंजूरी भी ले ली है। सांसदों का गांवों में जाना शुरू हो गया है।

प्रश्न- आपकी सरकार मध्यप्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले आयी है ऐसी स्थिति में सांसद आदर्श ग्राम योजना कितनी उपयोगी साबित होगी?

उत्तर- मध्यप्रदेश को उन्नत प्रांतों की श्रेणी में सबसे आगे ले जाने का जो हमारा सपना है मैं मानता हूँ कि यह योजना सहायक सिद्ध होगी। विकास की प्रक्रिया से लोगों का जुड़ाव जरूरी है। जब तक लोगों के भीतर खुद आगे बढ़ने का आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक प्रगति नहीं हो सकेगी। इस दृष्टि से यह योजना महत्वपूर्ण है।

प्रश्न- राज्य सरकार के ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना द्वारा भी किए जाने चाहिए?

उत्तर- मध्यप्रदेश सरकार की तमाम योजनाएँ मध्यप्रदेश को आदर्श टापू बनाने के लिये संचालित हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री

कन्या विवाह योजना आदि कई योजनाएँ हैं। ग्रामीणजनों का स्किल डेवलपमेंट, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योगों को स्थापित करना उन्हें सक्षम बनाना, रोजगार के मामले में आत्मनिर्भरता, शत-प्रतिशत साक्षरता, नशा मुक्ति, स्वच्छता, अंधविश्वास, कुपोषण दूर करना। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग भेद जैसी समस्या को समाप्त करना आदि कार्यों के लिये सांसदों के मार्गदर्शी प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

प्रश्न- प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान घोषित किया गया है। आप इस अभियान को सांसद आदर्श ग्राम योजना से किस रूप में जोड़ते हैं?

उत्तर- प्रधानमंत्री जी के आह्वान से देश में स्वच्छता के प्रति जागृति आयी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना से इस अभियान को भी बल मिलेगा। परिवर्तन की शुरुआत हो गयी है। लोग अपने घर-आंगन, अपने मोहल्ले को साफ करना सीख रहे हैं। धीरे-धीरे पूरा गांव अपने आप स्वच्छ होगा। स्वच्छता आदर्श गांव का संकेतक है। हाल में प्रधानमंत्री ने हरदा जिले में चले रहे ऑपरेशन मल्लयुद्ध की खुले मन से तारीफ की थी। मैं समझता हूँ इस योजना में जनप्रतिनिधियों के अपने चयनित गांवों में जाने से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागृति और बढ़ेगी साथ ही इसका प्रभाव आसपास के गांवों में भी होगा।

प्रश्न- स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने मध्यप्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में लगभग 500 आदर्श ग्राम बनाये। आज उनका प्रभाव दूर-दूर तक देखा जा रहा है। क्या राज्य सरकार ने इस योजना को अपनी प्रेरणा के रूप में लिया है?

उत्तर- स्वर्गीय नानाजी देशमुख से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने पूरे मध्यप्रदेश को आदर्श बनाने का संकल्प भी लिया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश बीमारू प्रांत के कलंक से मुक्त हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद और कृषि उत्पादन में हमारा प्रदेश अब देश में अव्वल है। पिछले तीन सालों से लगातार मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से ऊपर है जो संभवतः दुनिया में सर्वाधिक है। विकास दर डबल डिजिट में है। यह साधारण नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना से हर संसदीय क्षेत्र में जो गांव आदर्श बनेगा वह विकास का एक मॉडल होगा। यह मॉडल पूरे मध्यप्रदेश के लिये लागू होगा। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वप्न साकार करने के लिये संकल्पित हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

ग्राम चेतना के परिष्कार से विकास की प्रतीक

● महेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार

आदर्श शब्द एक प्रकार से संभवतः परिपूर्णता को प्रदर्शित करता है। समाज के भौतिक और मानसिक जीवन-दोनों में इसकी सार्थकता अपेक्षित रहती है। उपनिषद्काल से बुद्ध और महावीर के चिन्तन तक श्रेष्ठ समाज की संरचना में जिस सम्यक ज्ञान की बात कही गई है वह मनुष्य और समाज दोनों के जीवन को श्रेष्ठतम आयाम पर पहुँचाने के उपदेश के रूप में देखी जा सकती है। सम्यक शब्द को हम संतुलित जीवन व्यवहार के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के संदर्भ में और कुछ अर्थों में यह 'स्व' एवं 'पर' के भेद को कम करने के उपाय के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। समाज के संदर्भ में सम्यकता ही आदर्श मानी जा सकती है।

केन्द्र सरकार की आदर्श ग्राम योजना को हम सत्ता या राजनीति का, दूरस्थ या अल्पविकसित क्षेत्र की ओर, सकारात्मक चिन्तन का रचनात्मक मोड़ भी मान सकते हैं, जिसमें लोक कल्याणकारी सरकार के दायित्व बोध की सुरीली सरसराहट है। सामान्य रूप से यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के जन जीवन की भौतिक प्रगति को लक्ष्य करती है क्योंकि इसका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, व्यक्ति या समूह की पात्रतानुसार सुविधाओं में हिस्सेदारी तथा आय में वृद्धि है। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति में स्थानीय समुदाय की सहभागिता एवं जिम्मेदारी का तत्व इसे एकात्मभाव के विकास की ओर भी ले जाता है। यह भाव किसी भी समाज को सशक्त बनाता और सामूहिक चेतना को विकसित करता है।

जहां तक स्वावलंबन का सवाल है प्राचीन समय में भारत में हर गांव यदि उसे इकाई

माना जाए तो स्वयं में परिपूर्ण था। अपनी आवश्यकता का अन्न उपजाता, वस्त्र बनाता और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अपने आवास निर्मित करता था। ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि तब कोई भी बड़ा गांव अपने आसपास की छोटी बसाहटों को मिला कर एक संपूर्ण संसार होता था। उसे स्वयं जीने के साधन समिति संसाधनों के माध्यम से ही उत्पन्न करना होते थे। निश्चय ही उस समय मानवीय मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता था और जातीय व्यवस्था के दोष उसमें व्याप्त थे। वर्तमान आदर्श ग्राम योजना उन दोषों का निवारण कर समता और योग्यता आधारित संतुष्टिदायक सह जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। जनप्रतिनिधि के सम्मिलित होने से उन योजनाओं का लाभ भी गांवों को मिल सकेगा जो प्रायः जानकारी के अभाव में क्रियान्वित नहीं हो पातीं अथवा अफसरशाही की लेटलतीफी के कारण भटक कर रह जाती हैं। किसी भी गांव को आदर्श ग्राम बनाने में सबका योगदान और सबकी राय न केवल पारदर्शिता लाएगी अपितु सामाजिक नियंत्रण का तत्व भी उसमें समाहित हो सकेगा। यह विडम्बना ही रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के अड़सठ साल बाद भी हम गांवों को सामान्य सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके।

आदर्श ग्राम में जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अधोसंरचना का विकास होगा, स्वच्छता होगी और रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तो स्वभाविक रूप से गांवों से शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा। ग्रामीण युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने गांव में ही कुछ श्रेष्ठ करने की कामना से भरेंगे। शासकीय धन के समुचित उपयोग एवं योजनाओं के सही क्रियान्वयन के साथ ही ग्रामीणों में गांव के प्रति अपनत्व और पूरे गांव को एक परिवार मान कर विकास करने की भावना उत्पन्न होगी। आदर्श ग्राम केवल भौतिक संसाधनों के विकास की योजना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के चिन्तन में सकारात्मक परिवर्तन और मानसिकता में मानवीय संवेदनाओं, दायित्वों का प्रक्षेपण भी है।

शौचालयों का नहीं होना और इसी कारण सिर पर मैला ढोने की प्रथा का पूरी तरह समाप्त नहीं होना, किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के सिर पर अमानवीय कलंक है। यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि, पहली बार प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने निम्न स्तर का जीवन जी रहे सुदूर गांवों को सामान्य मानवीय जीवन जी सकने की सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। स्वच्छता और सबके लिए शौचालय, जैसे संकल्प उस गांधीवादी दर्शन के व्यावहारिक पहलू हैं जिनको मूर्तरूप प्रदान करने का प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है, जिसने दरिद्र ग्रामीणों एवं दुर्दशायुक्त ग्रामों की पीड़ा को अनुभव किया हो। नरेन्द्र मोदी का यह करना अब्राहम लिंकन की उस उक्ति को चरितार्थ करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्मित होती है।

आदर्श ग्राम में जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अधोसंरचना का विकास होगा, स्वच्छता होगी और रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तो स्वभाविक रूप से गांवों से शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा। ग्रामीण युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने गांव में ही कुछ श्रेष्ठ करने की कामना से भरेंगे। दूसरा पहलू यह है कि जो डॉक्टर या शिक्षक या अन्य उत्तरदायी अधिकारी आज गांवों में जाने और वहां जाने से कतराते हैं, उनका संकोच कम होगा तथा ग्रामीणों को अनवरत चिकित्सा और अन्य परामर्श उपलब्ध होंगे।

शासकीय धन के समुचित उपयोग एवं योजनाओं के सही क्रियान्वयन के साथ ही ग्रामीणों में गांव के प्रति अपनत्व और पूरे गांव को एक परिवार मान कर विकास करने की भावना उत्पन्न होगी। यह होना इसलिए जरूरी है कि हर ग्रामीण अपनी मानसिकता में परिवर्तन करे, हर कार्य में सहभागी बन कर, दायित्व और कर्तव्य बोध से भरे। आदर्श ग्राम केवल भौतिक संसाधनों के विकास की योजना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के चिन्तन में सकारात्मक परिवर्तन और मानसिकता में मानवीय संवेदनाओं, दायित्वों का प्रक्षेपण भी है। इसकी सफलता शासकीय कारिंदों, जन-प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की लोक सेवा की निःस्वार्थ एवं पवित्र भावना पर निर्भर करेगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

बापू, जेपी और नानाजी की राह पर चलते मोदी

● राजेश सिरोठिया, वरिष्ठ पत्रकार

देश के प्रधानमंत्री के रूप में वैसे तो देश ने कई आला नेता देखे हैं। देश दो ही लोगों के कारण जाना जाता रहा है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरे सत्ता में रहते हुए सत्ता के गलियारों से परहेज करके चलने वाले राजनेता जिन्हें राजपुरुष की पांत में रखा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि पीएम थे तो उनके मेंटर के रूप में महात्मा गांधी भी थे। फिर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख सरीखे राजपुरुष भी आए जिन्होंने सत्ता की राजनीति से खुद को दूर रखते हुए देश को और देश की आत्मा स्वरूप उसके गांवों को संवारने का जीवन दर्शन दिया। हालांकि किसी भी पीएम ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से सक्रिय पहल करने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालते ही मोदी जी ने इन तमाम राजनीतिक संतों के भाव को गांवों में उतारने का मंत्र देते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना का सूत्रपात किया था।

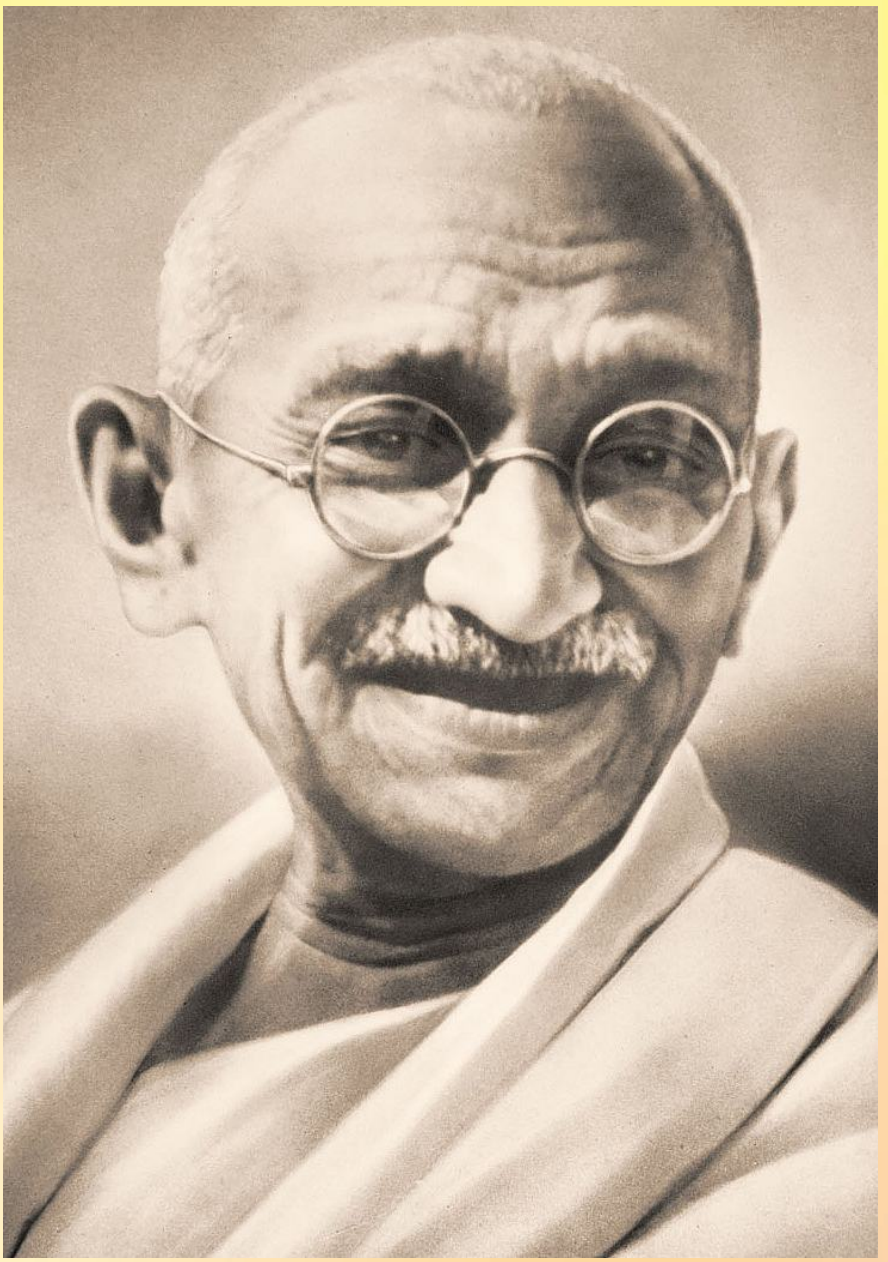

गांवों को देश की आत्मा कहा जाता है। मोदी ने भारत के विकास की आत्मा को छूने की कोशिश की है। गांव के विकास को जनांदोलन बनाने की उनकी पहल यदि कारगर साबित होती है तो बाबू, विनोबा, जेपी और नानाजी की दिवंगत आत्माएं उन्हें दिल से दुआएं देंगी। मोदी के सपने के गांवों को गढ़ने का काम मध्यप्रदेश में तेजी से शुरू हो गया है। इस योजना का पूरा खाका चंद महीनों में ही तैयार कर लिया गया और पिछले साल

ही 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन इस योजना का शुभारंभ भी किया।

मोदी जी की स्पष्ट मान्यता रही है कि हमारे देश में हर राज्य में पांच-दस गांव ऐसे मिल जाएंगे जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। जिनमें पहुंचते ही अलग अनुभूति होती है। इन्हें देखकर तुरंत यह बात समझ में आ जाती है कि यहां कोई ना कोई ऐसी शख्सियत जरूर रही होगी जिनकी संकल्पना के चलते वह गांव ऐसा बना। सरकारी योजनाओं से यदि गांव संवरते होते तो देश की आजादी के 60 साल बाद सभी की तस्वीर बदल जाना चाहिए थी। ग्राम धर्म एक अहम बात है। जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है तो ग्राम धर्म असंभव है। यदि यह संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयां पाने का रास्ता खुद चुन सकता है।

मोदी जी ने इन्हीं राजपुरुषों की ग्राम विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2019 तक देश में कोई ढाई हजार गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने का मंसूबा साधा है। उनका मानना है कि यदि इसी योजना की तर्ज पर विधायक ग्राम जैसी योजना को राज्य सरकारें शुरू करती हैं तो इस कतार में छह सात हजार ग्राम और भी जुड़ सकते हैं। यदि एक विकासखंड में एक गांव अच्छा बन जाता है तो बात वहीं रुकती नहीं है। आसपास के गांव भी इससे प्रेरित होकर अपने गांव की चिंता करने में जुट जाते हैं।

बापू के सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार ने गांव की विकास योजना का मोटा खाका भी तैयार कर लिया है। मध्यप्रदेश में सात राज्यसभा सदस्यों सहित सभी 36 सांसदों ने प्रदेश में 36 गांवों का चयन कर लिया है। साल भर पूरा होने के पहले हालात यह हैं कि इन तमाम गांवों का बेस लाइन सर्वे हो गया है। उसके बाद ग्राम विकास की योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं। इन योजनाओं का ग्राम सभा में अनुमोदन भी हो गया है। अब यह योजना जमीन पर उतर रही है।

सरकार की मंशा है कि स्थानीय स्तर पर विकास के काम जनभागीदारी से कराने के लिए गांव के लोगों को एकजुट करना होगा। इस काम में स्वैच्छिक संगठन सहकारी, शैक्षणिक तथा अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं से साझेदारी भी की जाएगी। सरकार चाहती है कि गांव में इस योजना के तहत जो विकास हो वह स्थायी हो। गांव के विकास का पहला आयाम ग्रामीणों के व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। इसमें उन्हें साफ-सफाई और स्वच्छता के साथ रहने की आदतों का विकास करना, खेलकूद और दैनिक व्यायाम के जरिए उनकी सेहत को संवारना तथा उन्हें धूमपान, मदिरापान जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से रोकना प्रमुख है।

इसके बाद मानव विकास की परिकल्पनाओं के तहत सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा देना, टीकाकरण, लिंगानुपात संतुलन तथा पोषण आहार और शिक्षा तथा साक्षरता से जुड़े पहलुओं का समावेश किया गया है। तीसरा मोर्चा है सामाजिक विकास का इसके तहत स्वयं सेवकों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप का। इसमें गांव के बुजुर्गों स्थानीय रोल मॉडल और महिलाओं आदि को सम्मानित करने वाले कार्य और गांव को अपराध मुक्त बनाने की पहल भी शामिल है। ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव के साथ ही गांव का ऐसा गीत बनाना जिससे लोगों में गर्व की भावना पनपे। गांव में नागरिक समितियां भी गठित की गयी हैं जिससे लोग जिम्मेदारी से अपने कार्य कर सकें।

चौथा मोर्चा आर्थिक विकास का है इसमें सबसे ऊपर कृषि पर आधारित जीविका के साधनों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। पशुधन कैसे बढ़े और अनाज के साथ फल सब्जी और फूल के उत्पादनों को कैसे बढ़ाया जा सके।

गांव में ईंधन के बतौर गोबर गैस के निर्माण के लिए गांव में गोबर बैंक, मवेशी हॉस्टल का प्रावधान है। इसके साथ ही गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही गांव के युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम भी शामिल है। इको टूरिज्म के बारे में भी पहल की जा सकती है। हर घर में और हर एक सार्वजनिक संस्था में शौचालय, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के साथ ही सड़क किनारे पेड़ लगाने से लेकर हवा और पानी के प्रदूषण से मुक्ति के उपाय भी गांव विकास के एजेंडे में शामिल किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के तहत गरीबों और

बेघरों को पक्के मकान, शुद्ध पेयजल के साथ ढंकी नालियों युक्त बारहमासी भीतरी सड़कें, गांव की सड़क को मुख्य सड़कों से जोड़ने के इंतजाम सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, ग्रामीण बाजार सामुदायिक भवन, अंत्येष्टि स्थल, टेलीफोन कनेक्टीविटी जैसे मुद्दों का समावेश भी बुनियादी ढांचे के विकास में रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत बूढ़ों, विधवाओं के लिए पेंशन तथा हर एक आदमी के लिए बीमा योजना की योजना सुनिश्चित की गयी है।

गांव में सुशासन को मजबूत करने के लिए पंचायतों और ग्राम सभाओं को जवाबदेह बनाने का संकल्प है। ई-शासन, आधार कार्ड आदि की व्यवस्था का प्रावधान भी इसके तहत किया गया है। गांव की शिकायतों को सुलझाने के लिए खुला मंच जैसे आयोजन करने का प्रावधान रखा गया है। गांव के विकास के इस मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए बेसलाइन सर्वे सबसे पहली सीढ़ी है। इसके बाद गांव के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इस खाके के तहत विकास करते वक्त केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का समावेश भी किया जाएगा।

जिला कलेक्टर लोगों की प्राथमिकता के हिसाब से ग्राम विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए कार्य समूह गठित कर चुके हैं। इसमें सरकारी अफसरों के साथ ही व्यवसायिक विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। ग्राम विकास के प्रस्ताव की ग्राम सभा में मंजूरी के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला अध्यक्ष समिति सांसद की टिप्पणी और सलाह को विचार करने के बाद उसके लिए स्वीकृति दे रहे हैं। हर काम के लिए तीन महीने से एक वर्ष तक की समय-सीमा भी तय हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर समय-समय पर खुद गांव के विकास के काम की निगरानी करेगा। आदर्श ग्राम के चयन से लेकर ग्राम विकास की योजना की समीक्षा तक के हर चरण की

समय सीमा तय की गई है।

केंद्र में भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पूरी योजना की ई निगरानी करेगा। गांव के विकास पर निगरानी के लिए नई प्रौद्योगिकी और उसके नए तौर तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

स्पेस एप्लीकेशन और रिमोर्ट सेंसिंग के जरिए कार्यक्रमों की आयोजना की निगरानी होगी तो परिसंपत्तियों की मैपिंग जीआईएस से की जाएगी। मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकी के जरिए जीओ टैगिंग का इंतजाम किया जाएगा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साधनों को विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के जरिए नेशनल इंनोवेशन, फाउंडेशन और बैंक ऑफ आइडियाज़ से भी प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय सामग्री और डिजाइनर से निर्माण करने वाले विशेषज्ञ संगठनों की मदद से भवन निर्माण का काम होगा तो सड़क निर्माण की टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी मुहैया कराएगा। इन गांवों में निजी सहकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से विकास के तानेबाने को बुनने का प्रयास किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आदर्श गांव में होने वाले कामों से गांव में विकास का माहौल बनेगा। शांति और सौहार्द्र पैदा होगा। बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के साथ ही सिर पर मैला ढोने जैसी कुरीतियों से निजात मिलेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो पलायन में कमी आएगी। गांव का विकास ठीक तरीके से होने पर चार तरह के पुरस्कार भी भारत सरकार देगी। इसके तहत सर्वोत्तम आदर्श ग्राम, सर्वोत्तम जिला कलेक्टर, सर्वोत्तम प्रभारी अधिकारी के साथ सर्वोत्तम कार्य को भी नवाजा जाएगा।

महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और नानाजी देशमुभ सरीखे राष्ट्र संतों के ग्रामीण विकास की सोच को पहली बार किसी प्रधानमंत्री के रूप में जमीन पर उतारने का बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है यदि वह कारगर साबित हुआ तो देश में विकास की एक नई बयार बहती दिखेगी। देश की आत्मा तो गांव में ही बसती है शहर तो काया की तरह होते हैं। मोदी जी ने देश की आत्मा के विकास का जो सपना देखा है उन आदर्श ग्रामों की तरक्की को देखकर दूसरे गांव वाले जरूर उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आदर्श ग्राम की राह पर चलने को तैयार गांवों को भी वह उतनी ही तवज्जो दें जितना सांसद आदर्श ग्राम को दी जा रही है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

विकास की बुनिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बहुत ठीक बात कही कि पिछली सरकारें बहुत से ऐसे काम छोड़ गई हैं, जिन्हें पूरा करने का अवसर उन्हें मिल रहा है। बात अपनी जगह ठीक है। वाकई देश के विकास के लिए कुछ बुनियादी और जरूरी काम ऐसे हैं जो प्राथमिकता से हाथ में लिए जाने चाहिए थे लेकिन छूट गए। जिनकी शुरुआत अब नरेंद्र भाई मोदी ने की है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आजादी के बाद अब तक आए तमाम प्रधानमंत्रियों ने अथवा सरकारों ने विकास की अवधारणा नहीं समझी। निःसंदेह समझी थी और देश की आज जो तस्वीर है, जीवन की गति है उसका आधार अब तक किए गए काम ही तो हैं। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीकारा और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने पहले भाषण में इसका जिक्र भी किया था। कुछ बातें समय के साथ सूझती हैं अथवा उनकी जरूरत कुछ कदम चलने के बाद महसूस होती है। ग्रामों को आदर्श और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी तो पहले दिन से था लेकिन इसका अनदेखापन आज भयानक असंतुलन के रूप में सामने आ गया है। इसलिए नगरीय और गांवों की आबादी के बीच संतुलन बनाना पहली प्राथमिकता बन गई है इस प्राथमिकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहले दिन से महसूस की। इसीलिए न केवल अन्य योजनाएं ग्रामोन्मुखी बनाई गईं बल्कि सांसद आदर्श ग्राम योजना सीधे गांवों के उत्थान से जुड़ी है।

प्रधानमंत्री ने इस योजना की पहली घोषणा 15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्राचीर से की थी और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर से लागू किया। योजना को एक प्रकार से तीन चरणीय बनाया गया है। देश के सभी सांसदों से कहा गया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव गोद लें। इसके विकास के लिए दो वर्ष का लक्ष्य रखें। इन दो वर्षों में यह गांव

पूरी तरह आदर्श और आत्मनिर्भर होना चाहिए। ग्रामों के चयन में प्रधानमंत्री ने एक बंधन लगाया है और एक छूट दी है। बंधन यह लगाया है कि योजना के अंतर्गत चयन किये जाने वाला गांव सांसद का अपना या अपनी ससुराल का गांव न हो और छूट यह दी है कि यदि किसी सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र का कोई गांव पंसद न आता हो तो वह देश का कोई भी गांव चुन लें। इसके अतिरिक्त एक अपेक्षा भी की है वह यह कि जो गांव चुनें वह कम से कम ढाई तीन हजार की आबादी का जरूर हो।

स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा और इसे लागू करने की तिथि में लगभग दो माह का अंतर रखा गया था। इसके पीछे कारण यह था कि इस बीच में योजना का मसौदा तैयार हो जाए और संबंधित लोग अपनी मानसिकता तैयार कर लें। योजनाओं को आरंभ करने के लिए स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि 11 अक्टूबर का एक और महत्व है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने योजना को लागू करने की तिथि पर भी किया और बाद में सांसदों से अपेक्षा भी की कि वे इस बात का जिक्र उन गांवों में जरूर करें जिन्हें आदर्श बनाने के संकल्प के साथ चयन किया गया है। वह यह कि 11 अक्टूबर को स्वर्गीय नानाजी देशमुख की भी जन्मतिथि है। आज से लगभग 35 साल पहले नानाजी देखमुख ने चित्रकूट में एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया था और उसका नाम स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के साथ उनकी पत्नी प्रभा देवी के नाम को भी शामिल करके 'जयप्रभा' रखा था। आज वह

ादी यात्रा : मध्यप्रदेश आगे

● रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

गांव आत्मनिर्भर और आदर्श होने का एक बड़ा उदाहरण है। जिसे देखने के लिए देशभर से जिज्ञासु लोग आते हैं।

कई बार अच्छे कामों का जिक्र व्यक्ति को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है। आदर्श सांसद ग्राम योजना में कार्य करने वाले लोगों को तिथि के साथ जुड़े संस्मरण भी प्रेरित करें तब स्फूर्ति स्वयं आयेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सांसदों से अपेक्षा की है कि गांवों में 'जयप्रभा' गांव का जिक्र जरूर करें ताकि जो गांव सांसदों ने गोद नहीं लिए उनके निवासियों में भी गांव को आदर्श बनाने का भाव जन्म ले।

योजना के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके विकास में स्वावलंबन और स्वनिर्भरता पर जोर दिया गया है। इसके काम सरकार पर बहुत निर्भर नहीं हैं। सरकार से केवल इतनी अपेक्षा है कि वह अधोसंरचना अर्थात् आधारभूत विकास का दायित्व प्राथमिकता से पूरा करे। इसके अलावा सरकार का योगदान सीमित है। सरकार की सामान्य योजनाओं के अंतर्गत जितना लाभ हितग्राहियों को मिलता है उसके अतिरिक्त अन्य अपेक्षा नहीं की गई। बाकी काम स्वयं लोगों को करना है। गांव को आदर्श बनाने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उनमें काम भी ऐसे हैं कि लोगों में यदि जाग्रति है तो वे स्वयं कर लेंगे। संबंधित सांसद को सतत संपर्क से प्रोत्साहित करना है।

सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना में जो आधारभूत चार प्राथमिकताएं तय की गई हैं उनमें अधोसंरचना का विकास, पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार सुविधाएं, ग्रामीणजनों की आय में वृद्धि, तथा स्वच्छता तथा संसाधनों के उपयोग के संबंध में स्थानीय समुदाय की सहभागिता शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में योजना को लेकर बहुत उत्साह है। देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश के सांसद राजनैतिक सीमाओं से परे होकर योजना के क्रियान्वयन में रुचि ले रहे हैं। मध्यप्रदेश के लगभग सभी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामों का चयन कर चुके हैं। इसमें सभी राजनैतिक दलों और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। चयनित गांवों में आधारभूत जरूरतों का सर्वेक्षण हो चुका है। समस्याओं और आपेक्षित कामों की सूची बन चुकी है। दो-तीन गांवों को छोड़कर लगभग

सभी गांवों में प्रस्तावित योजनाओं का अनुमोदन हो चुका है। मध्यप्रदेश में इस तेजी का एक कारण यह भी है कि मध्यप्रदेश सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल इस योजना में व्यक्तिगत रुचि ली है बल्कि वे इससे बहुत पहले से गांवों की आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे थे। वे अपने पिछले कार्यकाल में भी जहां जाते गांव वालों से चार पांच बातों की अपील करते। एक स्वच्छता और दूसरे शत-प्रतिशत शिक्षा, तीसरा नशा मुक्ति चौथा स्वास्थ्य और पांचवीं आत्मनिर्भरता वे न केवल सभाओं एवं बैठकों में अपील करते बल्कि उनकी योजनाओं में भी इन्हीं कामों की प्राथमिकता होती।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा आदर्श ग्राम योजना को अपनी प्राथमिकता में लेने और मध्यप्रदेश में इसके तीव्र क्रियान्वयन का एक कारण और है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में गांव-गांव घूमे हैं ठीक उसी प्रकार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश का कोना-कोना छाना है। दोनों के सामने भारत के ग्रामीणजनों का, ग्रामों की जरूरतों का पूरा नक्शा सामने है। विशेषता और वर्जना का कारण भी जानते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी अपनी किशोरवय से देश का निरंतर प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने देश के कम से कम 400 से ज्यादा जिलों में रात्रि विश्राम किया है और पांच हजार से यादा गांवों का भ्रमण किया है। इन सैकड़ों जिलों और हजारों गांवों में ऐसा कोई जिला या गांव नहीं है जहां किसी न किसी व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत परिचय न हो या वे क्षेत्र की विशेषता या समस्या से परिचित न हों। उन्होंने अपनी यात्राओं में दोनों प्रकार के गांव देखे हैं। ऐसे गांव भी जो आदर्श बनने के करीब हैं। जहां जाकर कोई भी व्यक्ति उस गांव पर गर्व कर सकता है और ऐसे गांव भी जहां समस्याओं का अंबार है। नरेंद्र भाई मोदी का मानना है कि यदि ग्रामीणजनों में जागृति, उत्साह आ जाए तब देश का प्रत्येक गांव आदर्श बन सकता है। जब तक गांव आदर्श नहीं होंगे तब तक देश कैसे आदर्श बनेगा, समृद्ध बनेगा। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद से गांवों को आदर्श बनाने पर विचार किया और इसकी शुरुआत सांसद आदर्श ग्राम योजना से की।

यह योजना कुल तीन चरणों में है। अपेक्षा है कि सांसद अपने पांच वर्षीय कार्यकाल में कम से कम चार गांवों को आदर्श बनाए। सांसदों से यह अपेक्षा भी की गई है कि जब योजना के अंतर्गत एक गांव आदर्श बन जाए। अगले साल वे दूसरे गांव का चयन कर लें तब भी पहले आदर्श बने गांव भी सतत निगरानी रखें। इसका कारण है कि स्वच्छता, शिक्षा, तथा व्यक्ति निर्माण के

कार्य ऐसे हैं इनमें निरंतरता की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक बार काम पूरा कर लिया बस हो गई फुर्सत। गांव में तब तक निगरानी रखना है, संपर्क रखना है जब तक इस निरंतरता को बनाए रखने का भाव स्थानीय स्तर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में न समा जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह बात बहुत दो टूक शब्दों में कही है कि गांव में सफाई हो, एक मंदिर हो अथवा कोई ऐसा स्थान हो जहां सब लोग आ सकें। प्रत्येक गांव का अपना कोई तीर्थ स्थल हो, गांव वाले स्वयं का कोई गोबर का बैंक बना लें। जिससे फर्टीलाइजर तैयार हो। स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागृति हो कि प्रसव कालीन मृत्यु पर नियंत्रण हो जाए। गांव वाले जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी गुणवत्ता आए जिससे उनकी आय बढ़े। इसमें क्या पैसा लगेगा? इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा लेकिन इच्छाशक्ति लगेगी। इन आदर्श गांवों में ऐसी इच्छाशक्ति और संकल्प का भाव विकसित करना है।

मध्यप्रदेश के सांसदों ने योजना को हाथों हाथ लिया है हालांकि देश के अन्य प्रांतों में लगभग पौने दो सौ सांसद ऐसे हैं जो अब तक गांवों का चयन नहीं कर पाए लेकिन मध्यप्रदेश में काम बहुत आगे बढ़ गया। इसका सांसदों की अपनी रुचि के साथ-साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की व्यक्तिगत दिलचस्पी भी है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के अनुभव में देश के गांवों की तस्वीर है ठीक उसी प्रकार मध्यप्रदेश के एक-एक गांव की तस्वीर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नजर में है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले की पद यात्रा की है।

जिला मुख्यालय की बात तो अलग प्रदेश का शायद ही कोई तहसील मुख्यालय ऐसा हो जहां वे स्वयं न गए हों। उनका आज भी गांवों से निरंतर संपर्क है। वे ग्रामीण विकास का अभियान चला ही रहे थे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना आ गई। यहां ग्रामीणजनों में अपने गांव के विकास की ललक जग चुकी थी राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी जागृति थी इसीलिए गांवों का चयन बहुत तेजी से हुआ और काम आगे बढ़ गया। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्यप्रदेश में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही गांवों को आदर्श बनाने का काम पूरा हो जायेगा।

प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम अवधारणा

● घनश्याम सक्सेना, स्तंभकार

बापू मैं जेल से रिहा हो गया हूँ। अब आगे अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ - यह बात गांधी जी के अनन्य सहयोगी ठाकुरदास बंग ने कही।

'अगर तुम अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हो तो भारत के गांवों में जाओ' - बापू ने संक्षिप्त उत्तर दिया और बांस की चटाई पर बैठकर चर्खा कातने लगे।

बाद में मैग्सेसे अवार्ड विजेता अभय बंग ने अपने पिता ठाकुरदास बंग से पूछा - 'गांधी जी के उक्त वाक्य में ऐसा क्या जादू था जिसने आपके जीवन दिशा ही बदल दी और आप अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ओहियो विश्वविद्यालय से डाक्टरेट लेने के बदले भूदान-ग्रामदान के माध्यम से गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के कार्य में लग गये।'

ठाकुरदास ने अपने पुत्र को बताया - 'महात्मा गांधी जो कहते थे वही करते थे। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो वे निरंतर चरखा कात रहे थे। तभी आश्रम का एक बच्चा स्लेट-पेन्सिल लिये बापू को अपनी बारहखड़ी दिखाने आ गया। बापू ने चश्मा ठीक किया और पीठ ठोक कर उसे शाबाशी दे दी। यह बापू ही तो थे जिन्होंने तकली और तालीम, चरखा और चेतना तथा ग्रामोद्योग और गरीबी को जोड़ दिया। यह उनका आदर्श ग्राम बनाने का नुस्खा था। ऐसा ग्रामीण भारत जो भीतर और बाहर दोनों से स्वच्छ और स्वस्थ हो।'

बापू और बंग का संवाद 1945 का है। उसके ठीक सत्तर साल बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगभग वही बात पुनः कह रहे हैं। उन्होंने तो भारत के गांवों के सर्वतोमुखी

विकास के संदर्भ में सांसदों से भी अपील की है कि वे अपने चुनाव क्षेत्र में कम से कम एक गाँव चुनें जिसे हर दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाने का भगीरथ प्रयास हो।

आदर्श ग्राम के विषय में स्वयं महात्मा गांधी के विचार बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने इसे ग्राम स्वराज की समग्र अवधारणा के अंग के रूप में देखा था। प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा का कहना था कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तभी उनके मन में ग्राम-स्वराज का एक खाका आया और उसे उन्होंने स्फुट टिप्पणियों के रूप में दर्ज कर लिया। बाद में गोपालकृष्ण गोखले ने उन्हें आमतौर पर भारत भ्रमण और खासतौर पर गांवों का अध्ययन करके विशाल बहुलवादी भारत को समझने की सलाह दी।

महात्मा गांधी ने 'ग्राम-स्वराज' में ऐसे विकसित और आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना की है जिन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नगरों की बात तो दूर पड़ोस के गांव तक भी न जाना पड़े। दो अगस्त 1942 के हरिजन सेवक में प्रकाशित अपने लेख में बापू ने आदर्श ग्राम की अपनी परिकल्पना का पूरा विवरण प्रकाशित किया। उनका आदर्श ग्राम एक ऐसा ग्राम है जिसमें पूरी सफाई हो, शिक्षा के आखिरी दर्जे तक का प्रबंध हो, पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। कुल मिलाकर ऐसा प्रबंध जो गांव को आत्मनिर्भर बनाये। स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध हो। खेती अनाज के साथ फल, सब्जी और कपास की भी हो ताकि गांव की जरूरत का कपड़ा गांव में बन सके और गांव को हर प्रकार का सात्विक-पौष्टिक भोजन स्थानीय साधनों से ही उपलब्ध हो। यदि आवश्यकतानुसार पास-पड़ोस में सम्पर्क करना भी पड़े तो वह पारस्परिक सहयोग के लिये हो न कि शोषण या मुनाफाखोरी के लिये।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत की संरचना में ग्रामों की प्रधानता के दृष्टिगत कहा था :

भारतमाता ग्रामवासिनी : अहा! ग्राम जीवन भी क्या है...। ग्राम प्रधान भारत को रेखांकित करते हुए राजनीतिक अर्थशास्त्र के मनीषी पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पुस्तकों एकात्म मानववाद और 'भारतीय

महात्मा गांधी ने 'ग्राम-स्वराज' में ऐसे विकसित और आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना की है जिन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नगरों की बात तो दूर पड़ोस के गांव तक भी न जाना पड़े। दो अगस्त 1942 के हरिजन सेवक में प्रकाशित अपने लेख में बापू ने आदर्श ग्राम की अपनी परिकल्पना का पूरा विवरण प्रकाशित किया। उनका आदर्श ग्राम एक ऐसा ग्राम है जिसमें पूरी सफाई हो, शिक्षा के आखिरी दर्जे तक का प्रबंध हो, पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। कुल मिलाकर ऐसा प्रबंध जो गांव को आत्मनिर्भर बनाये। स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध हो। खेती अनाज के साथ फल, सब्जी और कपास की भी हो ताकि गांव की जरूरत का कपड़ा गांव में बन सके और गांव को हर प्रकार का सात्विक-पौष्टिक भोजन स्थानीय साधनों से ही उपलब्ध हो।

अर्थनीति : एक दिशा' में एकात्म मानववाद की अवधारणा के तहत आदर्श ग्राम पर चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि "जिस प्रकार आयुर्वेद का सिद्धांत है कि यद्देशस्य यो जन्तुः तद्देशस्य तस्योषधम् अर्थात रोगी को देशकाल के अनुसार औषधि दें, उसी प्रकार भारत में विकास का पाश्चात्य सिद्धांत सही नहीं बैठता।" उन्होंने तो पंचायत की स्वयंभू सत्ता की बात की और उसकी मूल इकाई आदर्श ग्राम को माना। पंडित जी के एकात्म मानववाद का मूल उद्देश्य गांवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयक सभी संदर्भों में आत्मनिर्भर बनाना था। सन् 1965 में मुम्बई कौशल प्रस्तुत उनकी परिकल्पना में "गांव की कृषि, कृषि आधारित उद्योग, व्यक्ति के कौशल के आधार पर शिल्प सब गांवों में हो ताकि नगरवासी या नगरों की सत्ता के अधिकार में डूबे लोग गांवों का शोषण न कर सकें।"

महात्मा गांधी के अन्त्योदय और पं. दीनदयाल उपाध्याय के ग्राम-स्वराज्य विषयक विचारों की पृष्ठभूमि में यह समझने का प्रयत्न करें कि गत स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त 1914) पर आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था :

"... मैं एक नये विचार को लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम पर ढेर सारी योजनायें चल रही हैं, लेकिन मैं आज सांसद के नाम पर एक योजना घोषित करता हूँ **'सांसद आदर्श ग्राम योजना'**।

"हम कुछ पैरामीटर्स तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने इलाके में तीन हजार से पांच हजार आबादी के बीच का कोई भी गांव पसंद कर लें, और कुछ पैरामीटर्स तय हों - वहां के स्थल, काल, परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में चौपाल, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर्स हम तय करेंगे और हर सांसद 2016 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाये। इतना तो कर सकते हैं न भाई। करना चाहिये न। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें।

"... 2019... से पहले दो और गांवों को योजना में शामिल करें और 2019 के

बाद हर सांसद पांच साल के कार्यकाल में कम से कम पांच आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनायें, जो शहरी क्षेत्र के एम्पीज़ हैं उनसे भी मेरा आह्वान है कि वे भी एक गांव पसंद करें, जो राज्यसभा के एम्पीज़ हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी एक गांव पसंद करें... । हर जिले में अगर हम एक आदर्श ग्राम बनाकर देते हैं तो सभी अगल-बगल के गांवों को खुद उस दिशा में जाने का मन कर जायेगा... ।

"... राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूँ कि ... सभी विधायकों के लिये एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिये..."

माननीय प्रधानमंत्री के उक्त पत्र के बाद मा. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक परिपत्र के माध्यम से आग्रह किया :

"हमें यह संकल्प लेना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आदर्श गांव की परिकल्पना को हम शीघ्र साकार करें और ऐसे आदर्श ग्राम से प्रेरणा लेकर देश के बाकी गांव भी विकास के रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ सकें। जब हमारे गांव विकसित होंगे तभी हमारा देश सही मायनों में विकसित हो सकेगा।"

इसके तुरंद बाद पंचायत, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री मा. गोपाल भार्गव ने एक विस्तृत परिपत्र के माध्यम से आदर्श ग्राम योजना के लिये विचारणीय बिन्दु रेखांकित किये। डॉ. अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव ने आदर्श ग्राम परियोजना की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी।

चार महत्वपूर्ण पहलू उभरकर आये हैं :

- ग्राम के अधोसंरचना का विकास।
- पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार सुविधाएँ।
- ग्रामीणों की आय-वृद्धि।
- संसाधन-उपयोग एवं स्वच्छता हेतु स्थानीय सहभागिता एवं जिम्मेदारी।

1. अधोसंरचना : अधोसंरचना विकास में शामिल हैं बारहमासी पहुंचमार्ग (एप्रोच रोड), आंतरिक सीमेंट, कांक्रीट रोड नाली सहित, प्रत्येक परिवार को शौचालय सहित पक्का आवास, प्रत्येक घर को पेयजल, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बिजली की उपलब्धता।

2. पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार सुविधायें : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, समग्र पोर्टल, समग्र पहचान पत्र, डेविट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, जनश्री योजना, आम आदमी बीमा योजना, पेंशन योजना आदि।

3. ग्रामीण आय स्त्रोत वृद्धि : भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि पशुपालन में कौशल उन्नयन, स्वरोजगार या नियोजन। मनरेगा, आईडब्ल्यूपीएम, वयस्क ग्रामीणों को आवश्यकतानुसार रोजगार, पलायन रोकना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला स्व-सहायता समूह।

4. संसाधन-उपयोग और स्वच्छता : सुविधाओं का गुणात्मक लाभ, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जिम्मेदारी, ग्रामीण जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण, मध्यान्ह भोजन, समग्र स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण, जनजागृति से सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, बाल विवाह की रोकथाम, मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना, सामाजिक-परिवेश में सकारात्मक बदलाव।

इन सभी बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश में पहले से बहुत व्यापक और विस्तृत रूप से काम होता रहा है।

पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के केन्द्रीय मंत्री मान. नितिन गडकरी की ओर से सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर अति विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आइये समझें कि अति संक्षेप में इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं :

सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य

- कृषि, ग्रामोद्योग, ऊर्जा आदि का स्थानीय संसाधनों पर आधारित समग्र विकास और संतुलित उपयोग।
- पर्यावरण और प्रकृति के बीच समन्वय सुनिश्चित करके स्वपोषित विकास।
- महिला-पुरुष समानता और महिला सशक्तीकरण।
- अन्त्योदय और एकात्म-मानववाद के आधार पर सबसे निर्धन तथा निर्बल वर्ग के सर्वतोमुखी विकास को प्राथमिकता।
- सम्पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण जीवन में भागीदारी, जवाबदारी और ईमानदारी आधारित सक्रिय जनसहयोग प्राप्त करना।
- सरकार पर निर्भरता कम करके परस्पर सहयोग, स्व-सहायता और आत्मविश्वास का विकास।
- ग्रामीण समाज में शांति, सौहार्द्र और समरसता का वातावरण बनाना।
- श्रम की गरिमा, स्वाभिमान की प्रवृत्ति, सामाजिक न्याय।
- सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा।

यदि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि निष्ठापूर्वक इस योजना को कार्यान्वित करने में रुचि लें तो श्री शिवराज सिंह चौहान जैसे विजनरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के उक्त सपने को साकार करने में व्यवहार्यतः कोई कठिनाई नहीं होना चाहिये। इतना जरूर है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक साफ-सुथरा तंत्र बुनियादी शर्त है।

मध्यप्रदेश में जो अधोसंरचना समग्र ग्रामीण परिवेश में पहले से उपलब्ध है वह प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना के लिये एक हितैषी ढांचा उपलब्ध कराती है।

पंद्रह साल पहले मध्यप्रदेश में विकास की जो नेगेटिव गति थी और इसके कारण इस संभावनाशील प्रदेश पर बीमारू राज्य का जो पट्टा लगा था वह न केवल उतर चुका है बल्कि अब इसकी गणना विकसित राज्यों की श्रेणी में हो रही है। हमारे पास 2.31 करोड़ हैक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र है जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 276.20 लाख मीट्रिक टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय स्तर पर 'मध्यप्रदेश-मॉडल' रचने का दावा करने की स्थिति में हैं। हमारा प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन 203 कि.ग्रा. से बढ़कर 317 किलोग्राम से अधिक हो गया है। लगभग 86 लाख हैक्टेयर वन होने के कारण हम कृषि और वानिकी के बीच संतुलित भू-उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे पास 23.3 लाख हैक्टेयर पड़त भूमि है जिसमें से 8.67 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य है। यह एक बहुत बड़ा संसाधन है जिसे आदर्श ग्राम योजना में विकास के पारस-स्पर्श की प्रतीक्षा है। अकेले कृषि क्षेत्र में कृषकों और कृषि श्रमिकों के रूप में हमारे पास लगभग डेढ़ करोड़, मानव संसाधन हैं जो वर्तमान 2.31 करोड़ हैक्टेयर कृषि क्षेत्र के विस्तार और सुधार में सक्रिय है। हमारे 46209 गांवों में से 88 प्रतिशत में बिजली पहुंच चुकी है। यद्यपि कुल साक्षरता प्रतिशत 70 से अधिक है लेकिन दूर-दराज के गांवों में भी 57 प्रतिशत से ज्यादा लोग साक्षर हैं। इसके नतीजतन गांवों में जनजागृति है। विकास का माहौल है।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज की सक्रिय संस्थागत व्यवस्था ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पहले से इतने कुछ काम कर दिये हैं जिनसे प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना के लिये एक मजबूत जमीन पहले से तैयार है। ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी का परिवेश है, गांव में पक्की सड़कें, नालियां, स्कूल, आंगनवाड़ियां, स्वच्छ पेयजल, बैंकिंग सुविधा आदि से बदलाव आया है। इसके लिये पंच-परमेश्वर योजना से 20 प्रतिशत राशि दी जाती है। कम्प्यूटर, टी.वी. और इंटरनेट हैं। आधुनिक ई-पंचायत कक्ष बन रहे हैं। ग्राम पंचायतों को

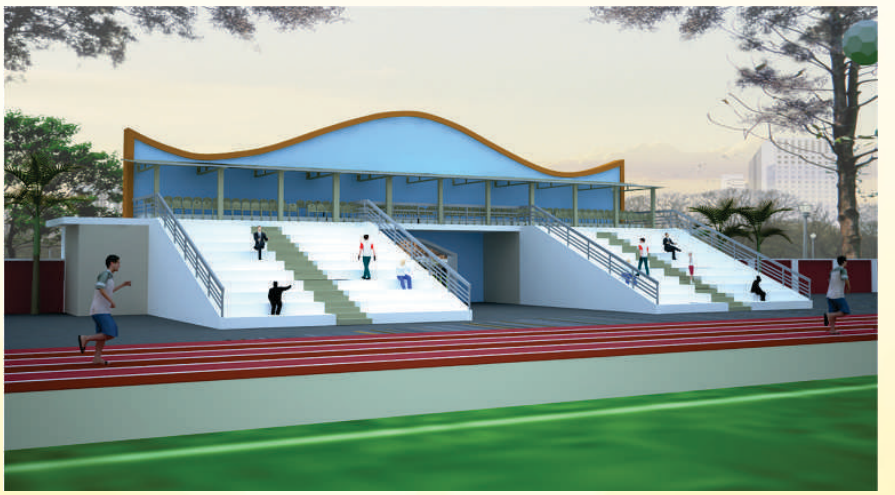

आबादी के मान से एकमुश्त राशि दी जाती है। मध्यान्ह भोजन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। स्कूलों में छात्र-छात्राओं के पृथक शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था प्रगति पर है।

प्रदेश में 70 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह हैं जिनके जरिये महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार मुहैया कराया जाता है। गांवों में बुजुर्गों, विधवाओं और निःशक्तजनों को पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने में पंचायतें अग्रणी हैं।

यह एक बहुत विशाल और सुदृढ़ अधोसंरचना है जो आदर्श ग्राम योजना की सफलता सहज ही सुनिश्चित कर सकती है। प्रदेश में इस योजना के लिये 36 सांसदों द्वारा 32 जिलों में पंचायतों का चयन किया जा चुका है। यदि हमारी 23 हजार 6 पंचायतों के सरपंच, 51 जिला और 364 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, 51 जिलों के कलेक्टर, 364 तहसीलों के तहसीलदार और 230 विधायकगण भी सुविधानुसार एक-एक गांव का चयन करके उसे स्थानीय साधनों से जिसमें मानव संसाधन भी शामिल है, आदर्श ग्राम बना सकें तो हमारे 52 हजार गांवों में से लगभग 23500 ग्रामों का तो सर्वतोमुखी विकास निश्चय हो ही जायेगा। एक वाक्य में कहें तो गांव की कमाई, पढ़ाई और दवाई सुनिश्चित करना उसे बहुत कुछ आदर्श बनाना है।

सुविख्यात वैज्ञानिक और चिंतक डॉ. रघुनाथ मशेलकर ने अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रबंधन पत्रिका हार्वर्ड रिव्यू में एक लेख लिखकर गांधीवादी इंजीनियरिंग की अवधारणा प्रतिपादित की थी। इसका आशय है न्यूनतम स्थानीय साधनों से अधिकतम का विकास करना। यह एक मानवीय प्रौद्योगिकी है जो आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है।

विकास की ओर तेजी से बढ़ते मध्यप्रदेश में समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचना लगभग तैयार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रदेश ने कई मध्यप्रदेश मॉडल खड़े किये हैं। जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा भी लागू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित की गयी सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है। श्री भार्गव की सक्रिय सहभागिता से मध्यप्रदेश में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है। योजनानुसार कार्य प्रगति पर है। निर्धारित समय-सीमा में आदर्श ग्राम बनने की पूर्ण संभावना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की आवश्यकता, महत्व और क्रियान्वयन को लेकर मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए रंजना चितले ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से बातचीत की, प्रस्तुत है इसके अंश –

स्वावलम्बी आदर्श ग्राम का सार्थक सपना

प्रश्न - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है? शासकीय स्तर पर चूंकि पहले से ही कई विकास योजनाएं क्रियान्वित हैं तो इसकी अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर - देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की विकास योजनाओं से लगातार विकास कार्य किये जा रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं जो मध्यप्रदेश के विकास के आंकड़ों द्वारा आपके सामने हैं। विकास की तमाम योजनाओं के बाद कहीं न कहीं प्रभावी विकास के लिए सरकार और समाज के साझे विजन की जरूरत थी, ताकि विकास के मापदण्ड और समाज की आवश्यकता के बीच गैप न रहे। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो, हरेक जन अपने अधिकारों को जानने के साथ उसका पूरा उपयोग करे। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक मान्यताओं की अवहेलना न हो। समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा, महिलाओं से भेदभाव तथा अन्य सामाजिक बुराइयां जिसे समाज की भागीदारी के बिना दूर करना संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता को महसूस किया और सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की। इस योजना से अधोसंरचना, आर्थिक विकास के साथ जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

प्रश्न - आप इस योजना को किस रूप में देखते हैं?

उत्तर - मैं इस योजना को लोगों के व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास सहित सर्वांगीण विकास के रूप में देखता हूँ। इसमें समाज की सहभागिता से स्थानीय स्तर पर विकास होगा और स्थानीय शासन का प्रभावी मॉडल विकसित होगा, इससे दूसरे गाँव प्रेरित होंगे और पंचायतें व्यवस्थित स्वरूप में सशक्त होंगी।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसदगणों द्वारा किस तरह मार्गदर्शित किया जा रहा है?

उत्तर - सांसदगण अपनी नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता से स्थानीय स्तर पर साझे विकास के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यक्रमों, निजी और स्वैच्छिक पहलुओं में तालमेल बिठाकर स्थानीय क्षमता के आधार पर योजना का निर्माण कर विकास के उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं की भी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में आप सांसदों को किस भूमिका में देखते हैं?

उत्तर - सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसद एक उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। वे गाँव को संगठित करने, सामूहिक कार्यों के लिए प्रेरित करने, योजना बनाने, लक्ष्य तय करने, लक्ष्य तक पहुँचने के लिये नीति बनाने और कार्यक्रमों के निर्माण में मार्गदर्शन दे रहे हैं। इससे ग्रामीणों में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का भाव विकसित होगा। समाज के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और समाज स्वयं अपने विकास के लिए आगे बढ़ेगा। समाज में बदलाव आयेगा और विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ होगा। विकास में समाज की भागीदारी बढ़ेगी, और इस बदलाव से गाँव की आदर्श स्थिति निर्मित होगी जिसे देख आसपास के गाँव विकास के लिए प्रेरित होंगे और एक रचनात्मक स्पर्धा विकसित होगी।

प्रश्न - गाँव में जनजागरण या

विकास का वातावरण निर्माण किस तरह किया जा रहा है।

उत्तर - इसके लिए सांसदगण ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा में चर्चा करते हैं। समारोह स्थानीय संगठनों से चर्चा, शिविर, पदयात्रा, संपर्क, नुक्कड़ नाटक, व्यवसायिक समूह से चर्चा आदि से वातावरण निर्माण किया जा रहा है। अब गाँवों में इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं।

प्रश्न - इस योजना अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख घटक या गतिविधियाँ हैं?

उत्तर - इस योजना के मुख्य चार घटक हैं वैयक्तिक, आर्थिक, मानव विकास और सामाजिक विकास। वैसे तो विकास कार्यों के लिए अलग-अलग योजनाएँ निर्धारित हैं पर एक व्यवस्थित और समग्र रूप से इन्हें सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है, जैसे वैयक्तिक विकास में व्यक्ति में नैतिक मूल्य, साफ-सफाई, नियमित व्यायाम और खेलकूद की आदतों का विकास, नशा मुक्ति के प्रयास शामिल हैं। मानव विकास में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा मिले, संपूर्ण टीकाकरण, लिंगभेद की समाप्ति, भ्रूण हत्या पर रोक, कुपोषण दूर करना, कुरीतियां मिटाना इसी तरह सामाजिक विकास में क्षमता विकास, हिंसा व अपराध मुक्त करना, ग्रामीण खेलकूद, स्वयं सेवा भाव को निर्मित करना, अपने ग्राम के प्रति गर्व का अनुभव, ग्राम दिवस का आयोजन, ग्राम के गौरव गीत का निर्माण, तथा अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े जनों को समाज विकास के साथ जोड़ना। आर्थिक विकास के लिए आजीविका, कौशल उन्नयन, जैविक कृषि को बढ़ाना, फसलों की पैदावार बढ़ाना, गोबर बैंक, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास, स्वरोजगार और युवाओं का कौशल उन्नयन, स्व-सहायता समूहों का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन व बीमा की व्यवस्था आदि। सुशासन की दिशा में होने वाले कार्यों में ग्राम सभा को मजबूत करना, सामाजिक अंकेक्षण और ई प्रशासन की व्यवस्था इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने के साथ एक पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण होगा। स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा। बुनियादी

सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी, सबको शौचालय, पानी और बिजली की सुविधा वाले

हमारे गाँवों को आदर्श बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गयी सांसद आदर्श ग्राम योजना की समय-सीमा और चरण निर्धारित है। ग्राम पंचायत की अधोसंरचना विकास के साथ सामाजिक, आर्थिक वैयक्तिक विकास भी समाहित है। समग्र विकास, संपूर्ण विकास की आदर्श स्थिति निर्माण की प्रतिबद्धता में क्रियान्वयन स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महती भूमिका है। मध्यप्रदेश में इस योजना के संयोजन, संचालन और क्रियान्वयन को लेकर मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए हमने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश शासन, डॉ. अरुणा शर्मा से बातचीत की प्रस्तुत हैं इसके अंश –

मध्यप्रदेश के गाँव आत्मनिर्भरता की ओर

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना से गाँव के विकास में किस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा है?

उत्तर - इस योजना से समाज की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। शासन की विकास योजनाओं के निर्माण में समाज की सहभागिता होगी अंत्योदय का अनुपालन होगा। सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता, स्वैच्छिक सेवा की भावना, साफ-सफाई की आदत को बढ़ावा। विकास और पर्यावरण में संतुलन। पारस्परिक सहयोग, स्व-सहायता और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ेगी और स्थानीय स्वशासन को सहायता मिलेगी।

प्रश्न - इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर - उन्नत बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करना, उत्पादकता बढ़ाना, मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, सबको उनका हक दिलवाना, सामाजिक एकता, सामाजिक पूंजी को समृद्ध करना, स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय मॉडल तैयार करना जिससे आस-पास के ग्राम और पंचायतें अपने यहाँ भी इसे करने के लिए प्रेरित हों। जब गाँव का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और गाँव में सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तो गाँव दोयम दर्जे की भावना से मुक्त होंगे और गाँव से पलायन रुकेगा।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में कौन-कौन से घटक शामिल हैं?

उत्तर - इसके अंतर्गत ग्राम की विकास योजना में ग्राम पंचायत का समग्र विकास शामिल है इसमें ग्राम पंचायत की अधोसंरचना विकास के साथ सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक विकास को भी समाहित किया गया है।

प्रश्न - इसमें ग्राम विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जा रही है?

उत्तर - ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास योजना माननीय सांसदों के मार्गदर्शन में पूर्णतः स्थानीय परिवेश के अनुसार परस्पर सहभागिता से ग्रामीणों के साथ मिलाकर तैयार की जा रही है।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं और इनका क्रियान्वयन किस मद से किया जावेगा?

उत्तर - जैसा मैंने पहले बताया चार मुख्य गतिविधियाँ हैं। बुनियादी सुविधाएँ एवं अधोसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक और वैयक्तिक विकास।

बुनियादी सुविधाएँ एवं अधोसंरचना विकास में मुख्य गतिविधियां गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने तथा बारहमासी सड़कों का निर्माण, ग्राम पंचायत की अन्य ग्रामों एवं मजरों टोलों से जोड़ने वाली बारहमासी सड़कों का निर्माण यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क संपर्क योजना तथा मनरेगा द्वारा किया जायेगा। सीमेण्ट कांक्रीट सड़क तथा पक्की नालियों का निर्माण का कार्य पंच परमेश्वर योजना, परफारमेंस ग्राण्ट, स्व-कराधान योजना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, आदिमजाति कल्याण विभाग की योजनाएँ, सांसद मद, विधायक मद से किया जायेगा। खेल मैदान तथा शमशान घाट एवं कब्रिस्तान का निर्माण मनरेगा, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से होगा। हाट बाजार का निर्माण मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना से किया जावेगा। ग्राम पंचायत भवन निर्माण, पंचायत भवनों की

मरम्मत, ई-कक्ष निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण मनरेगा, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, 13वां वित्त आयोग, परफारमेंस ग्राण्ट, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से होगा। स्कूल भवनों तथा आँगनवाड़ी भवन का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान, मनरेगा, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, महिला एवं बाल विकास विभाग के बजटीय प्रावधान द्वारा होगा। अस्पताल भवन तथा चिकित्सक आवास का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान एवं भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण सहकारिता विभाग तथा मनरेगा से होगा। वाटरशेड प्रबंधन - जल संरक्षण संवर्धन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मनरेगा तथा वाटरशेड प्रबंधन मिशन द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ब्राडबैण्ड सुविधा 13वां वित्त आयोग, नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध की जावेगी।

प्रश्न - वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल होंगी ?

उत्तर - वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्य गतिविधियों में स्वच्छ पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध किया जावेगा। सभी को आवास सुविधा इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन द्वारा प्रदाय की जायेगी। सौर ऊर्जा सहित सभी परिवारों तक बिजली कनेक्शन तथा स्ट्रीट लाइट राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। शैक्षणिक सुविधाएँ, विद्यालयों का स्मार्ट विद्यालयों में रूपांतरण, गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, प्रौढ़ शिक्षा तथा ई-साक्षरता का कार्य सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा किया जायेगा। सभी के लिये स्वास्थ्य एवं पोषण तथा संपूर्ण टीकाकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास

योजना, सबल एवं सक्षम योजना के तहत होगा। सभी पात्र परिवारों-वृद्ध, विकलांग, विधवा महिलाओं, कन्या अभिभावकों के लिये पेंशन एवं निःशक्तजन को सहायता तथा मजदूर परिवारों को सहायता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, निःशक्तजन अनुदान सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना द्वारा किया जायेगा। बीमा योजनाओं का व्यापक कवरेज आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना से होगा। बेटियों की सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान के लिए लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण, स्वागत लक्ष्मी योजनाएँ हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक विस्तार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार को किस तरह क्रियान्वित किया जायेगा?

उत्तर - इसमें प्रमुख गतिविधियां हैं - कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना, यह कार्य मनरेगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल रूरल लाईवलीहुड मिशन, वाटरशेड, राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा किया जायेगा। पशुधन विकास मनरेगा तथा डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका कौशल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय की योजनाएँ कौशल विकास का कार्य करेंगी। महिला स्व-सहायता समूहों का गठन और वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में सुशासन और पारदर्शिता के लिये क्या कार्य होंगे?

उत्तर - ग्राम पंचायतों, स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना, ग्राम पंचायत की क्षमता में सुधार करना, सोशल ऑडिट, ग्राम पंचायत को सुशासन की मूल इकाई बनाना इसके लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, पंच परमेश्वर योजना द्वारा कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना में वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास को लेकर क्या गतिविधियाँ हैं?

उत्तर - वैयक्तिक और सामाजिक विकास अंतर्गत स्वयंसेवी कार्यक्रमों को बढ़ावा, लोगों में जनभागीदारी की क्षमता को बढ़ाना, नागरिक समितियाँ स्थापित करना, गाँव में खेलकूद और लोक कला महोत्सव आयोजित करना, लोगों में गौरव की भावना लाने के लिये अपने गाँव का गीत तैयार करना, ग्राम दिवस का आयोजन करना आदि गतिविधियां शामिल हैं। यह कार्य नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राज्य सरकार खेल एवं युवा विभाग की योजनाएं, भारत निर्माण स्वयं सेवक, सांसद निधि, जन अभियान परिषद द्वारा किया जावेगा। स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहार और आदतें स्थापित करने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास मिशन, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा किया जायेगा। नियमित शारीरिक व्यायाम की आदतों को अपनाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राज्य सरकार खेल एवं युवा विभाग की योजनाएँ जैसे राजीव गांधी खेल अभियान द्वारा किया जावेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजनाओं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं द्वारा नशा, धूम्रपान और अन्य बुरी आदतों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, दहेज लेन-देन को रोकना, छुआछूत को रोकना, लिंगभेद को समाप्त करना, मृत्युभोज को समाप्त करना, अंधविश्वास को दूर करना इन सबके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास विभाग की सुसंगत योजनाएं शामिल हैं।

प्रश्न - अभी हाल ही में स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत योजना की घोषणा हुई है। यह योजना क्या है और इससे क्या परिवर्तन आयेगा?

उत्तर - 14वें वित्त आयोग द्वारा स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत योजना के लिये 731 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है। इस राशि से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं का बेहतर विकास कर सकती हैं। इसमें ग्राम पंचायतें अपनी-अपनी विकास योजना तैयार करेंगी। स्मार्ट पंचायत में मुख्यतः चार घटक हैं जिसमें अधोसंरचना विकास में सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल नाली सहित आंतरिक रोड, ई-पंचायत, खेल मैदान, शाला, आंगनवाड़ी, पंचायत एवं अस्पताल भवन होंगे। आजीविका और रोजगार में माइक्रो फाइनेंस, उन्नत कृषि, उद्यानिकी का विस्तार, रोजगार और कौशल विकास किया जावेगा। सामाजिक सुरक्षा में आवास, खाद्य सुरक्षा, पेंशन तथा निःशक्त कल्याण, चिकित्सा सेवा स्वच्छता एवं पर्यावरण, क्लस्टर आपरेशन शामिल है। विकास में सहभागिता और उत्तरदायित्व के तहत सामाजिक अंकेक्षण, सुदृढ़ ग्राम सभा पंचायत को नागरिक सुविधा केन्द्र बनाना, कराधान से पंचायत की आय में वृद्धि, पंचायत दर्पण से पारदर्शिता का निर्माण किया जायेगा। अपेक्षा है कि इस योजना से आगामी पाँच वर्षों में मध्यप्रदेश के गाँव समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर हो जायेंगे और सभी पंचायतें स्मार्ट पंचायत का स्वरूप ले लेंगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

समग्र विकास का आधार

15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने सांसद, विधायकों से आह्वान भी किया। देश में यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को लागू हुई। योजना की विशेषता है कि इसका प्रत्येक कार्य समय-सीमा में होना है। गांव के चयन से लेकर प्रगति की समीक्षा और पूर्णता के परिणाम तक की समय सीमा निर्धारित है। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश में इस योजना की स्थिति और क्रियान्वयन को लेकर योजना का संयोजन कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नोडल अधिकारी आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव से बातचीत -

मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मध्यप्रदेश में 36 सांसदों ने अपने ग्रामों का चयन कर चरणबद्ध कार्य पूर्ण कर लिया है। समय-सीमा को लेकर उन्होंने बताया कि योजना लागू होने के एक माह के अंदर गाँव का चयन, दो माह में जागरूकता की वृद्धि, तीन माह में माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता व वातावरण बनाना तथा प्रथम चरण के कार्यकलापों को आरंभ करना। पाँच माह में प्रथम चरण में आरंभ किए गये कार्यों की समीक्षा करना, सात माह में वी.डी.पी. की तैयारी एवं आठ माह में अनुमोदन तथा स्वीकृतियाँ, कार्यकलापों का आरंभ नौ माह में और ग्राम सभा एवं जिला स्तर पर प्रगति की समीक्षा एक वर्ष में की जायेगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 तक प्रत्येक सांसद को कम से कम तीन ग्रामों को आदर्श बनाना है, लक्ष्य है कि वर्ष 2016 तक एक ग्राम को आदर्श बना दिया जाये। समय-सीमा में क्या यह कार्य हो जायेगा पूछे जाने पर आयुक्त पंचायत राज ने बताया कि मध्यप्रदेश

में यह कार्य समय-सीमा अनुसार किया जा रहा है। गोद लिये गये गाँवों में सांसदगणों के मार्गदर्शन में बेस लाइन सर्वे हो चुका हैं। सर्वे के आधार पर ग्राम विकास योजनाएँ बन गयी हैं। इन ग्राम विकास योजनाओं का ग्राम सभा में अनुमोदन करने के उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिए गये हैं।

योजना का क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है पूछे जाने पर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो समितियाँ हैं एक ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में दूसरी सचिव ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में सभी विभागों के प्रमुख शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन समिति की संयोजक तथा

आयुक्त पंचायत राज नोडल अधिकारी हैं। जिला स्तर पर माननीय सांसद की अध्यक्षता में गठित समिति में सभी विभागों के जिला प्रमुख सदस्य तथा जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी हैं। कलेक्टर के सहयोग के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत यथा स्थिति चार्ज अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

संबंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिलों में समीक्षा बैठकें सम्पन्न होती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर की जिम्मेदारियों में बेस लाइन सर्वे, ग्राम विकास योजना तैयार करने में मदद करना, विभिन्न योजनाओं तथा संबंधित विभागों से समन्वय करना हर महीने प्रगति की समीक्षा करके रिपोर्ट राज्य और भारत सरकार को भेजना, योजना के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा करना, समय-समय पर चयनित ग्रामों का दौरा करना आदि शामिल है। इस तरह जिला स्तर पर पहले बेस लाइन सर्वे फिर विश्लेषण और इस आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जा रहा है। बेस लाइन सर्वे से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण माननीय सांसद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया जिसमें यह आकलन किया गया कि गाँव अपने आप क्या उपलब्धि प्राप्त कर पाया और निर्धारित समय-सीमा में कौन से कार्य किये जायेंगे।

इस तरह ग्राम विकास योजना को माननीय सांसद के मार्गदर्शन व सलाह के साथ जिला स्तरीय समिति के द्वारा अंतिम रूप दिया गया और ग्राम सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया। ग्राम विकास योजना की स्वीकृति के समय समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ तीन माह, 6 माह, 9 माह, एक वर्ष और इससे अधिक अवधि वाले विभिन्न घटकों के चरणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया।

इस योजना में कौन-कौन से विभाग शामिल हैं पूछे जाने पर कमिश्नर पंचायत राज ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। दो राष्ट्रीय समितियां कार्यान्वयन का निरीक्षण करेंगी। एक समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री हैं और उसमें योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और निर्णयानुसार अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री शामिल हैं। दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव हैं और अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये विभाग हैं - पंचायती राज, आयोजना, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, विद्युत, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, कृषि, खेलकूद और युवा कार्य तथा अन्य संगत मंत्रालय। इस समिति द्वारा निर्धारण और आयोजना प्रक्रिया की निगरानी तथा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

ग्राम को आदर्श बनाने के कार्य में इतने विभाग तो शामिल हैं पर इन विभागों के कर्मियों द्वारा सुचारू कार्य संचालन के लिए क्षमता निर्माण भी आवश्यक है पूछे जाने पर कमिश्नर पंचायत ने बताया कि इसके लिए क्षमता विकास का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न घटकों को शुरू करने के लिए विस्तृत पुस्तिकाएँ, स्टेक होल्डरों के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित नए प्रकार के सर्वोत्तम कार्यों के दस्तावेज तैयार कर उनका प्रचार-प्रसार, आवश्यकता होने पर शंकाओं के समाधान और सलाह देने के लिए हेल्पडेस्क तथा सर्वोत्तम निष्पादन वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया जा रहा है।

कमिश्नर पंचायत ने यह भी बताया कि आदर्श ग्राम से प्रेरित होकर अन्य ग्राम भी आदर्श ग्राम की और बढ़ेंगे इस अवधारणा के साथ चयनित ग्रामों के लिए सर्वोत्तम कार्य, सर्वोत्तम प्रभारी अधिकारी, सर्वोत्तम जिला कलेक्टर, सर्वोत्तम आदर्श ग्राम को पुरस्कृत भी किया जायेगा ताकि एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके। संभावित परिणामों को लेकर उन्होंने बताया कि इससे सामाजिक परिवर्तन की आदर्श स्थिति निर्मित होगी आजीविका, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, गाँव से पलायन रुकेगा और आदर्श ग्रामों का अन्य ग्राम पंचायतों पर प्रभाव पड़ेगा इससे सभी पंचायतें समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगी।

● **प्रस्तुति - हेमलता हुरमाड़े**

विश्व हिन्दी सम्मेलन

दुनिया में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 सितम्बर को भोपाल में आयोजित दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिये इसे अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ना होगा और डिजिटल दुनिया में इसका उपयोग बढ़ाना होगा। हर पीढ़ी का दायित्व है कि हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाये। हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं की उत्तम चीजों को हिन्दी भाषा की समृद्धि का हिस्सा बनना चाहिये। इस सम्मेलन में दुनियाभर के 39 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है। हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इसे अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ना होगा और डिजिटल दुनिया में उपयोग बढ़ाना होगा। हर पीढ़ी का दायित्व है कि भाषा को समृद्ध बनाये। प्रधानमंत्री श्री मोदी 10 सितंबर को भोपाल में आयोजित दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सम्मेलन पर केन्द्रित डाक टिकिट का लोकार्पण किया। साथ ही विश्व हिन्दी सम्मेलन की स्मारिका, 'गगनांचल' पत्रिका के विशेषांक तथा 'प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग से आगे' का विमोचन किया। सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी का दायित्व है कि उसके पास जो विरासत है उसे सुरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ी को सौंपे। भाषा जड़ नहीं होती उसमें जीवन की तरह चेतना होती है। इस चेतना की अनुभूति भाषा के विकास और समृद्धि से होती है। भाषा में ताकत होती है जहाँ से भी गुजरती है वहाँ की परिस्थिति को अपने में समाहित करती है। हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं की उत्तम चीजों को हिन्दी भाषा की समृद्धि का हिस्सा बनाना चाहिए। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास भाषा का खजाना है, इसे जोड़ने में सूत्रधार का काम करें। भाषाविदों का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक दुनिया की छह हजार भाषाओं में से 90 प्रतिशत के लुप्त होने की संभावना है। इसे चेतावनी समझकर अपनी भाषा का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। हमारी भाषा में ज्ञान और अनुभव का भंडार है। भाषा के प्रति लगाव इसे समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए।

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन में गहरे तक प्रवेश कर लिया है। हमें हिन्दी और भारतीय भाषाओं को तकनीकी के लिए परिवर्तित करना होगा। बदले हुए तकनीकी परिदृश्य में भाषा का बड़ा बाजार बनने वाला है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा हर किसी को जोड़ने वाली होना चाहिए। हर भारतीय भाषा अमूल्य है। भाषा की ताकत का अंदाजा उसके लुप्त होने के बाद होता है। हिन्दी भाषा का आंदोलन देश में ऐसे महापुरुषों ने चलाया जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी, यह प्रेरणा देता है। भाषा और लिपि की ताकत अलग-अलग होती है। देश की सारी भाषाएँ नागरी लिपि में लिखने का आंदोलन यदि प्रभावी हुआ होता तो लिपि राष्ट्रीय एकता की ताकत के रूप में उभर कर

प्रधानमंत्री के सम्बोधन के मुख्य बिन्दु

- हिन्दी सम्मेलन को बताया हिन्दी का महाकुंभ।
- हिन्दी भाषा की समृद्धि में मध्यप्रदेश का उल्लेखनीय योगदान है।
- भाषा के लुप्त होने पर ही उसकी महत्ता का पता चलता है। लुप्त होने से पहले चैतन्य हो जाएं।
- हर पीढ़ी का दायित्व है कि भाषाई विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें।
- चाय बेचते-बेचते हिन्दी सीखी।
- भाषा की ताकत का अंदाजा है। हिन्दी के संवर्धन के आंदोलन गैर हिन्दी मातृभाषा वालों ने चलाये, यही बात प्रेरणा देती है।
- जीवन की तरह भाषा में चेतना होती है।
- भाषा जड़ नहीं हो सकती। यह हवा का ऐसा झोंका है, जो अपने साथ सुगंध समेटते चलती है।
- भाषा अपने आप को परिष्कृत और नये शब्दों को समाहित करती है।
- सबका प्रयास होना चाहिए कि हिन्दी भाषा समृद्ध कैसे बने।
- भारतीय भाषाओं के बीच कार्यशाला हो और वे एक दूसरे को समृद्ध करें।
- भाषाओं को जोड़ें और समृद्ध बनायें।
- भविष्य में हिन्दी का महत्व बढ़ने वाला है। भाषा का एक बड़ा बाजार बनेगा।
- 21वीं सदी के अंत तक 90 प्रतिशत भाषाओं के लुप्त होने की संभावना है।
- भाषा के दरवाजे बंद मत करो।
- भाषा नहीं बचेगी तो अनुभव और ज्ञान का भंडार भी नहीं बचेगा।
- डिजिटल दुनिया की मुख्य भूमिका होगी। भविष्य में अंग्रेजी, चीनी और हिन्दी का दबदबा होगा।
- भाषा को टेक्नोलॉजी के अनुरूप परिवर्तित करें।
- भाषा सबको जोड़ने वाली होना चाहिये।
- संस्कृत भाषा में ज्ञान का अकूत भण्डार है लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका भरपूर लाभ नहीं ले सके। धीरे-धीरे हम उससे दूर हो गए।

आती। आज दुनिया के अलग-अलग देशों में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है। भारतीय फिल्मों ने भी दुनिया में हिन्दी को पहुँचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के माध्यम से हिन्दी को समृद्ध बनाने की पहल होगी और निश्चित परिणाम निकलेंगे।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सम्मेलन को मध्यप्रदेश और भोपाल में आयोजित करने का कारण बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हिन्दी के लिये समर्पित राज्य है।

श्रीमती स्वराज ने विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजनों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 32 वर्षों बाद यह भारत में आयोजित हो रहा है। पहला सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। तब से भोपाल के दसवें सम्मेलन तक आयोजन का स्वरूप बदला है। पहले के सम्मेलन साहित्य केन्द्रित थे लेकिन दसवाँ सम्मेलन भाषा की उन्नति पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि भाषा की उन्नति के लिये संवर्धन ही नहीं संरक्षण की भी जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विचार सत्रों में रिपोर्ट तत्काल लिखी जायेगी और भाग लेने वाले विद्वानों से अनुमोदन भी करवाया जायेगा ताकि समापन सत्र में अनुशंसाएँ पढ़ी जायें और उन पर अमल भी प्रारंभ हो जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन परिणाम देने वाला होगा।

इस अवसर पर श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिन्दी बोलने को प्रोत्साहित करने से हर नागरिक गौरव अनुभव करता है। इस सम्मेलन से प्रधानमंत्री के प्रयासों को गति मिलेगी और हिन्दी को अपेक्षित स्थान और सम्मान मिलेगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में हिन्दी के विस्तार और संभावनाओं पर आधारित 12 विषयों पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मेलन के आयोजन की सहमति देने के लिये धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि जिस गुजरात से महात्मा गांधी ने हिन्दी का जयघोष किया था उसी गुजरात से आज श्री मोदी हिन्दी का मान बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा भी गुजरात से हुई थी। श्री मोदी हिन्दी बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देश-विदेश में हिन्दी का मान बढ़ाया है। यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी हिन्दी को सम्मान दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश इस सम्मेलन के निष्कर्षों का अक्षरशः पालन करेगा।

मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विदेश राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह ने आभार व्यक्त किया। सम्मेलन का शुभारंभ हिन्दी के स्तुति गान के साथ हुआ। अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री रामनरेश यादव, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, राज्यपाल गोवा श्रीमती मृदुला सिन्हा, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, गृह राज्य मंत्री डॉ. किरण रिजीजू, मॉरिशस की मानव संसाधन एवं विज्ञान मंत्री श्रीमती लीलादेवी दुक्कन, विदेश सचिव श्री अनिल वाधवा, आयोजन समिति के उपाध्यक्ष सांसद श्री अनिल माधव दवे सहित विभिन्न देशों से आये हिन्दी विद्वान और राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य उपस्थित थे।

सहभागी लोकतंत्र का साझा प्रयास

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा, देवास जिले के खातेगाँव जनपद स्थित अजनास ग्राम को गोद लिया गया। माननीय सांसद द्वारा अजनास गाँव को गोद लेने के बाद से सामाजिक भागीदारी का उपक्रम प्रारम्भ हुआ। शासकीय अमले और ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम का भ्रमण किया, गाँव की समस्या और आवश्यकताओं पर खुली चर्चा की और इसी आधार पर ग्राम विकास योजना का निर्माण किया गया। बनायी गयी कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। माननीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज के मार्गदर्शन में अजनास को आदर्श ग्राम बनाने की सुव्यवस्थित कार्य योजना निर्माण तथा क्षेत्र की कार्य प्रगति और संभावनाओं को देखकर लगता है निश्चित ही निर्धारित समय-सीमा में अजनास आदर्श ग्राम बन जायेगा।

जिला स्तर पर निर्माण बैठक : गांव की कार्ययोजना के पहले जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना की कार्ययोजना के चरणों, प्रकियाओं पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर द्वारा कार्ययोजना निर्माण में शामिल होने का सन्देश दिया गया ताकि क्षेत्रवार जमीनी कार्ययोजना बने।

ग्राम नियोजन दल का गठन तथा उन्मुखीकरण : गांव की कार्ययोजना निर्माण के पहले गांव के एक नियोजन दल का गठन किया गया। जिसमें महिला, पुरुष दोनों वर्गों को रखा गया। नियोजन दल में प्रत्येक वार्ड के पंच तथा उसी वार्ड के एक सक्रिय सदस्य को रखा गया। दल में वार्ड से महिला तथा पुरुष की समान भागीदारी हो इसके लिए जिस वार्ड में पुरुष पंच हैं, उस वार्ड से सक्रिय महिला

सदस्य तथा जिस वार्ड से महिला पंच हो उस वार्ड सें पुरुष को दल में रखा गया। नियोजन दल गठन के बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य, मूल्य और ग्राम विकास योजना निर्माण में नियोजन दल की भूमिका पर चर्चा की गयी। नियोजन दल द्वारा ग्राम भ्रमण, समस्या का विश्लेषण, समस्या की पहचान तथा सभी वर्गों के साथ बैठक कर गांव की योजना बनाने की जानकारी ली गई।

सहभागी ग्रामीण अध्ययन

ग्राम भ्रमण - पंचायत स्थल सें प्रारंभ कर बाजार मार्ग, चाचा मोहल्ला, जाट मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, मेहतर मोहल्ला, प्रजापति मोहल्ला होते हुए पूरे गाँव का भ्रमण किया गया। गांव के मध्य भाग में स्थित ग्राम पंचायत और स्कूल में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम भ्रमण के दौरान सीसी रोड, नाली, बसाहट, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल, आंगनवाड़ी, शौचालय की स्थिति, कच्चा-पक्का मार्ग, हैण्डपम्पों के रखरखाव की व्यवस्था, गांव के लोगों की दिनचर्या की जानकारी ली गयी। भ्रमण के दौरान उठे प्रश्नों व विषयों पर ग्रामीणों से चर्चा की गई।

सामाजिक मानचित्र - अजनास गांव 20 वार्ड तथा कई मोहल्लों में बंटा हुआ है। गांव में लगभग 30 जाति तथा अलग-अलग धर्म के लोग निवास कर रहे हैं। सभी मोहल्लों में जाकर इनसे चर्चाकर सामाजिक मानचित्र तैयार किया गया।

संसाधान मानचित्र

मानचित्र बनाने की प्रक्रिया - ग्राम पंचायत भवन में तय कार्यक्रम अनुसार स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सहभागी ग्रामीण अध्ययन के तहत संसाधन मानचित्र गतिविधि को आरंभ किया गया। इस सहभागी अध्ययन प्रक्रिया में गांव के प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय परिस्थितियों के जानकार, कृषि भूमि, भूमि उपयोग पद्धति, शासकीय एवं सामुदायिक उपयोगी वर्तमान संसाधनों की स्थिति तथा विभिन्न फसलों का रकबा एवं उनका फैलाव, पेयजल के स्रोतों, कृषि वानिकी, जैविक खेती का क्षेत्र, जंगल, मृदा एवं जल संरक्षण हेतु निर्मित भिन्न-भिन्न संरचनाओं की जानकारी रखने वाले वरीष्ठ नागरिकों का चयन कर गतिविधियों को आरंभ किया गया। साथ ही नवीन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए खलिहान, खेत, पड़ती जमीन, नदी-नालों और सरकारी जमीन पर किसी भी नई संरचना को बनाने के बारे में चर्चा कर प्रस्तावित कार्य योजना के तहत शामिल किया गया। संसाधन मानचित्र बनने की प्रक्रिया में लगभग 5 घंटे का समय लगा। इस गतिविधि में सर्वप्रथम दिशा निर्धारित कर सीमा का निर्धारण किया गया। प्रस्तावित आदर्श ग्राम अजनास की सीमा मुख्य रूप से आठ ग्रामों क्रमशः अगरदा, भीलखेड़ी, खुड़गांव, निमोरा,

सगोदा, धायली, कवलासा तथा भटासा की सीमा से जुड़ी हुई है।

ग्राम अजनास की उत्तर दिशा की काकड़ की ओर ग्राम भटासा स्थित है, वहीं दक्षिण दिशा की ओर ग्राम निमोरा तथा खुड़गांव विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार पूर्व दिशा की ओर ग्राम अगरदा की सीमा है। ग्राम अजनास की दक्षिण-पूर्वी दिशा की सीमा से ग्राम भीलखेड़ी स्थित है। पश्चिम दिशा की काकड़ से ग्राम धायली तथा सगोदा ग्राम की सीमा लगी है। ग्राम अजनास की भौगोलिक सीमा का विस्तार लगभग 11 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।

भौगोलिक परिस्थिति और उपलब्ध संसाधन

किसी भी गाँव के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का उपचार उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप ही करना होता है। ग्राम अजनास का कुल क्षेत्रफल 1467.18 हैक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में निजी भूमि 1375.45 तथा सरकारी भूमि 88.93 हैक्टेयर है।

ग्राम अजनास के क्षेत्र भ्रमण तथा संसाधन मानचित्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम अजनास में ढाल का प्रतिशत 0-5 प्रतिशत तक है, जो कम ढाल वाले या कुछ समतल ढाल वाले क्षेत्र की श्रेणी में आता है। कम ढाल वाले या बहुत कुछ समतल क्षेत्रों में कन्टूर बाँध, मेढ़ बंधान या परिस्थिति अनुसार तालाब का निर्माण अथवा नालों में नाला बंधान जैसी संरचनाओं से पानी और मिट्टी का संरक्षण किया जाना उचित होगा।

इस तरह विदेश मंत्री माननीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज के मार्गदर्शन में, कलेक्टर तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और ग्रामीणों ने मिलकर कार्य योजना निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है। अब क्षेत्रवार योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है। उम्मीद है कि निर्धारित समय-सीमा में अजनास सांसद ग्राम का स्वरूप ले लेगा।

आदर्श ग्राम सिरसौद

विकास की दिशा में बढ़ते कदम

ग्राम सिरसौद को सांसद और केन्द्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया। ग्राम पंचायत सिरसौद में एक आदर्श ग्राम बनने की सारी संभावनाएँ हैं। सिरसौद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें शिक्षा और मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए विद्यालय परिसर में हाथ धुलाई के लिए हैण्डवॉश यूनिट स्थापित की गई है। साथ ही युवाओं के लिए विद्यालय परिसर में व्यायाम शाला भी स्थापित की गई है।

शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत करैरा में स्थित ग्राम पंचायत सिरसौद की पहचान अब तक एक आम ग्राम पंचायत के ही तरह थी। शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 25 के किनारे बसी इस ग्राम पंचायत में विकास की पूरी संभावनाएँ होने के बाद भी यह एक साधारण ग्राम पंचायत ही थी लेकिन जब से सिरसौद का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए हुआ है तब से इस ग्राम पंचायत में विकास के द्वार खुल गये हैं। ग्राम सिरसौद को सांसद और केन्द्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया। ग्राम पंचायत सिरसौद में एक आदर्श ग्राम बनने की सारी संभावनाएँ हैं। सिरसौद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें शिक्षा और मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए विद्यालय परिसर में हाथ धुलाई के लिए हैण्डवॉश यूनिट स्थापित की गई है। साथ ही युवाओं के लिए विद्यालय परिसर में व्यायाम शाला भी स्थापित की गई है। जिसमें छात्र और गांव के युवा स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करते हैं। ग्राम पंचायत सिरसौद में दस बिस्तर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी संचालित हो रहा है जिसमें समय-समय पर वृहद स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं और शासन की निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत दवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। स्वच्छता आदर्श ग्राम की परिकल्पना का मूल है इसी कारण स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत सिरसौद में नियमित रूप से साफ सफाई पंचायत की निगरानी में सफाई कर्मियों द्वारा कराई जाती है। घरों से कचरा एकत्रित किया जाता है। सीवेज व्यवस्था के लिए पक्की नालियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और सार्वजनिक सुलभ शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। पेयजल के लिए कई सार्वजनिक नल-कूप बनाए गए हैं। ग्राम सिरसौद में महुआ नदी में स्थित सूढ़ेश्वर महादेव मंदिर ग्रामवासियों की आस्था का केन्द्र है जिसमें प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है जिसके लिए मंदिर में निर्माण कार्य और पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत सिरसौद में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार को समग्र पोर्टल से जोड़कर उन्हें शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीणों को कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर खाद और बीज के साथ फसल पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण भी दिया जा रहा है।

● **मोहन सिंह पाल**

मध्यप्रदेश में हर गरीब का होगा अपना घर

राज्य सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को अपना स्वयं का आवास बनाने के लिये भूमि देगी। उन्हें भू-स्वामी बनाया जायेगा। केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त प्रयास कर वर्ष 2022 तक हर गरीब को मकान देगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के मैहर में विशाल जनदर्शन संकल्प समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अतिक्रमण की स्थिति में किसी भी गरीब परिवार के निवास की वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही उसे विस्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का लाभ कृषकों को दिलवाने के उद्देश्य से नयी बीमा योजना बनाई है, जिसमें किसान-कल्याण कोष बनाया जायेगा।

योजना में किसान को अत्यंत कम प्रीमियम देना होगा। इस अवसर पर ऊर्जा, खनिज साधन और जनसंपर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में बनेंगे नब्बे लाख घरों में शौचालय

प्रदेश में वर्ष 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 90 लाख घरों में शौचालय बनाए जाएँगे। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये रणनीति बनाने पर 6 अगस्त को भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2019 तक स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सबको मिल-जुलकर सकारात्मक प्रयास करना होंगे। उन्होंने कहा कि न केवल शौचालय बनाने की दिशा में कार्य किया जाये बल्कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी प्रेरित किया जाये। ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व बताया जाये तथा उन्हें स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय का निर्माण करवाया जाये। ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें खुले में शौच मुक्त बनाने के लिये शौचालय निर्माण किये जायेंगे। श्रीमती शर्मा ने गाँवों में पानी की उचित निकासी और कूड़े के उचित निपटान आदि के भी इंतजाम करवाने को कहा। विभाग के सचिव श्री संजीव कुमार झा ने स्वच्छता के बारे में मैदानी अनुभवों को साझा किया।

अभियान की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन ने पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने गाँवों में स्वच्छता लाने की दिशा में विभिन्न जिलों द्वारा अपनाये जा रहे अभिनव प्रयोगों को भी साझा किया। यूनीसेफ के कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष माथुर ने स्वच्छता के महत्व एवं गंदगी और बीमारियों के बीच अंतर्संबंधों की जानकारी दी।

ग्रामीण सड़कों के लिये सात सौ उनचालीस करोड़ रुपये मंजूर

सड़क संपर्क सुविधाओं से वंचित सुदूर गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 739 करोड़ 12 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि आजादी की सालगिरह के मौके पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क सुविधाओं से वंचित गाँवों के लिये यह अनूठी सौगात दी है। इससे प्रदेश के 37 जिलों के 2871 सुदूर गाँवों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3562.85 कि.मी. लंबी 1506 नई बारहमासी ग्रेवल सड़कों का निर्माण होगा। प्रदेश के सुदूर अंचलों तक बारहमासी पक्की सड़कों का जाल बिछाने के इस फैसले से अब तक सड़क सुविधाओं से वंचित गाँव की दिशा और दशा बदलने में मदद मिल रही है। वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

सुदूर ग्रामीण अंचलों तक समृद्धि और विकास की पहुँच हो, इस उदेश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये राज्य के पहुँचविहीन 9109 गाँवों को बारहमासी सड़कों (ग्रेवल रोड) से जोड़ने की योजना शुरू हुई है। इस अनूठी योजना के जरिये 3634 करोड़ की लागत से पुल-पुलियों सहित 19 हजार 386 कि.मी. लंबी 7575 ग्रेवल रोड बनाने का काम चल रहा है। ये सभी ऐसे गाँव हैं, जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित हैं। इनमें सामान्य क्षेत्र के 500 तक आबादी वाले और आदिवासी बहुल अंचलों के 250 से कम आबादी वाले गाँव इस योजना में शामिल किये गये हैं। योजना में अब तक 12905 कि.मी. लंबी 6028 कि.मी. सड़कें पुल-पुलियाओं सहित बनाई जा चुकी हैं। योजना के लिये राज्य सरकार अपने साधनों से वित्तीय संसाधन मुहैया करवा रही है।

मनरेगा कन्वर्जेंस से भी इन सड़कों का निर्माण हो रहा है। योजना पर अब तक 2246 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। गरीबों को स्थाई आजीविका के अवसर मुहैया करवाने तथा ग्रामीण अंचलों में स्थायी परिसंपत्तियाँ बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अभिसरण से नई उप-योजना सुदूर ग्राम संपर्क और खेत सड़क योजना शुरू की गई है। इस उप-योजना में 20 हजार कार्यों का चिन्हांकन कर 11 हजार 958 काम प्रगति पर हैं। इस अनूठी पहल से किसानों को अपने-अपने खेत-खलिहान तक पहुँचने और रोजमर्रा के कृषि कार्यों में आसानी होगी। फसलों को भी बाजार तक शीघ्र पहुँचाया जा सकेगा।

● देवेन्द्र जोशी

मोबाइल एप से मनरेगा की मॉनीटरिंग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) की मॉनीटरिंग और जानकारी का आदान-प्रदान अब स्मार्ट मोबाइल डिवाइस से होगा। इससे प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ जनपद, जिला और राज्य स्तर तक योजना की निगरानी में आसानी होगी। मोबाइल एप के जरिये मजदूरों की दैनिक उपस्थिति तथा रोजगारमूलक कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन सुगमता से होगा। संबंधित ग्राम रोजगार सहायक तथा उप यंत्री जब कार्य स्थल पर पहुँचेंगे तब वहाँ समय और तिथि संबंधी विवरण मोबाइल एप पर स्वतः ही दर्ज हो जायेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अमले ने कार्य-स्थल पर जाकर ही मूल्यांकन किया है। इस प्रणाली से कार्य-स्थल पर जाये बगैर मूल्यांकन करने की शिकायत पर भी अंकुश लगेगा। मनरेगा की मॉनीटरिंग प्रणाली के लिये तैयार किये गये मोबाइल एप का परीक्षण सफलता से हो चुका है। इसके संबंध में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भोपाल में नीलबढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में जिला और जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण के साथ ही स्मार्ट मोबाइल डिवाइस और मोबाइल एप के जरिये मनरेगा में ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण साथ-साथ दिया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा में तैनात मैदानी अमले को मोबाइल डिवाइस खरीदने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

प्रदेश में मनरेगा में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली (ईएफएमएस) वर्ष 2013-14 से लागू है। वर्तमान में राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 4 लाख रोजगारमूलक काम जारी हैं। अब मोबाइल एप के जरिये इन कार्यों पर मजदूरों द्वारा काम की मांग, कार्य-स्थलों पर मजदूरों की उपस्थिति तथा कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट स्मार्ट डिवाइस के जरिये त्वरित प्राप्त होगी। मजदूरों की दैनिक उपस्थिति तथा कार्यों के मूल्यांकन की जीपीएस स्थिति और फोटोग्राफ्स मोबाइल एप के जरिये तुरंत मिल जायेंगे। इसके साथ ही मजदूरों के आधार सीडिंग का काम भी स्मार्ट डिवाइस से किया जा रहा है। इससे विभिन्न जानकारी के संकलन में अब विलंब नहीं होगा और ऑफलाइन मोड में प्राप्त जानकारी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन पर आने पर स्वतः ही अपलोड हो जायेगी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने से डाटा अपलोडिंग के लिये सुरक्षित माने गये एमपी स्वॉन नेटवर्क के साथ मोबाइल डिवाइस की सिम को कान्फीगर किया जायेगा। इससे मनरेगा डाटा सुरक्षित नेटवर्क के जरिये नरेगा सर्वर पर अपलोड किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों को मिले

सात सौ इकत्तीस करोड़

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाले मध्यप्रदेश का हर ग्राम अब होगा स्मार्ट ग्राम और हर पंचायत होगी स्मार्ट पंचायत। यानि अब होंगे शहरों जैसी बुनियादी सुविधाओं, आधुनिक संसाधनों से समृद्ध, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर गाँव और सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन, ई-कनेक्टिविटी युक्त पंचायत। इसमें शामिल है अधोसंरचना विकास, सुनिश्चित आजीविका, सामाजिक सुरक्षा के साथ सहभागिता और उत्तरदायित्व। हर गाँव में सीमेंट कांक्रीट की पक्की सड़कें, सड़कों और चौराहों पर सोलर, एलईडी लाइट्स, हर जन को पानी, बिजली, शौचालय सहित पक्के मकान, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन में शौचालय और स्वच्छ पेयजल का इंतजाम जल मल निकास और अपशिष्ट प्रबंधन। जैविक कृषि और आधुनिक पद्धति से कृषि कार्य। युवाओं को रोजगार और कौशल उन्नयन के बेहतर अवसर, साप्ताहिक हाट बाजार में पक्की दुकानें। हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण का वातायन। आजीविका का पुख्ता इंतजाम। बच्चों को गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन, वरिष्ठजन के लिए डे-केयर सुविधा। सार्वजनिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में। इन तमाम सुविधाओं से सम्पन्न स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत की कल्पना को 14वें वित्त आयोग के तहत अगले पाँच वर्षों में मूर्त रूप दे दिया जायेगा।

ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को साकार करने के लिये प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग द्वारा 731 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इस राशि से ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास बेहतर तरीके से कर सकेगी।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि 14वें वित्त आयोग से होने वाली राशि का वितरण वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मान कर किया गया है। इसमें 90 प्रतिशत राशि जनसंख्या आधार पर और 10 प्रतिशत राशि क्षेत्रफल अनुसार आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग योजनाबद्ध रूप से किया जायेगा। इस मकसद से ग्राम पंचायत अपनी-अपनी विकास योजना तैयार करेगी। योजना को स्मार्ट ग्राम स्मार्ट - पंचायत योजना के नाम से जाना जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर की इस विकास योजना को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह स्थानीय परिवेश के अनुसार परस्पर सहभागिता पर आधारित होगी। ग्राम पंचायत के समग्र विकास की इस योजना में सभी घटकों में लिये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता भी तय की जायेगी।

ग्राम पंचायत को अपनी विकास योजना बनाने के संबध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जावेगा। ग्राम पंचायतें स्थानीय तकनीकी अधिकरियों से तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकेंगी। साथ ही ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर कुशल व्यक्तियों का तकनीकी मार्गदर्शन लेने में सक्षम होंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच तथा सचिव विकास योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी होंगे। क्लस्टर प्रभारी (सहायक विकास विस्तार अधिकारी/ पंचायत समन्वय अधिकारी) अपने क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतों के लिये चार्ज अधिकारी होंगे। इस प्रकार जनपद पंचायत क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के चार्ज अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी तथा जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संपूर्ण जिले के चार्ज अधिकारी होंगे। जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ भी नियोजन प्रक्रिया का अनुश्रवण कर सकेंगी।

ग्राम पंचायत को 14वें वित्त आयोग से प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि पूरी तरह स्पष्ट होगी। इस बारे में ग्राम पंचायत को समय रहते

ग्राम पंचायतों को जिलेवार राशि आवंटित

ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भेजी गई 731 करोड़ की राशि का जिलावार आवंटन जारी किया गया है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा आवंटित राशि में अनूपपुर 15.62 करोड़, अशोकनगर 19.92 करोड़, बालाघाट 40.20 करोड, बड़वानी 31.90 करोड़, बैतूल 26.20 करोड़, भोपाल 12.79 करोड, छिंदवाड़ा 45.38 करोड़, दतिया 16.69 करोड़, देवास 31.43 करोड़, धार 49.25 करोड़, डिंडोरी 19.13 करोड़, गुना 26.76 करोड़, ग्वालियर 21.36 करोड़, हरदा 12.89 करोड़, होशंगाबाद 24.14 करोड़, इंदौर 23.15 करोड़, जबलपुर 28.22 करोड़, झाबुआ 25.10 करोड़, कटनी 28.15 करोड़ तथा खंडवा 29.12 करोड़ और खरगोन जिले की ग्राम पंचायत को कुल 43.02 करोड़ आवंटित हुए हैं। इसी प्रकार मंडला जिले की ग्राम पंचायत को 26.03 करोड़, मुरैना 40.31 करोड़, नरसिंहपुर 24.84 करोड़, नीमच 16.48 करोड़, रायसेन 29.50 करोड़, राजगढ़ 35.27 करोड़, रतलाम 28.31 करोड़, रीवा 52.81 करोड़, सागर 46.39 करोड़, सतना 47.89 करोड़, सीहोर 30.12 करोड़, सिवनी 34.6 करोड़, शहडोल 24.31 करोड़, श्योपुर 17.72 करोड़, शिवपुरी 39.66 करोड़, सिंगरौली 25.69 करोड़, टीकमगढ़ 32.40 करोड़, उज्जैन 33.73 करोड़ तथा उमरिया जिले को 15.78 करोड़ और विदिशा जिले की ग्राम पंचायतों को कुल 32.26 करोड़ की राशि 14वें वित्त आयोग से प्राप्त हुई है।

पंचायत दर्पण : एक बहुउपयोगी वेब पोर्टल

पंचायत राज संस्थाओं का एक डाटा बेस बनाने और पंचायतों के लेखों के रखरखाव की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक वेबसाइट (वेब पोर्टल) 'पंचायत दर्पण' शुरू किया है। पंचायतों में डाटाबेस तैयार करने तथा लेखों के रख रखाव की जरूरत पर तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में पहली बार प्रभावी ढंग से कहा गया था। ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिये थे उन्हीं सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव पंचायतों का डाटाबेस बनाने और लेखों के रख रखाव से सम्बद्ध था। वित्त आयोग के इन्हीं सुझावों और आयोग के आब्जर्वेशन के बाद भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर 'प्रिया साफ्ट' के नाम से बनाया। यह सॉफ्टवेयर पंचायतों को अपने एकाउण्ट के रखरखाव में सहायता के लिए बनाया गया था। प्लानिंग एवं मॉनीटरिंग की विभिन्न गतिविधियों में भी यह सॉफ्टवेयर सहायक रहा है। यह सॉफ्टवेयर चूँकि डबल इन्ट्री सिस्टम पर आधारित था इसलिए अपनी जटिलता के कारण इसका क्रियान्वयन ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाया। 'प्रिया साफ्ट' सॉफ्टवेयर वर्ष 2009 में लागू किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग ने यह तथ्य रेखांकित किया कि इन्टरनेट असेस की कमी और ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक रूप से अभिलेखों के संधारण की जटिलता के कारण ही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों के स्तर पर दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता है। इसी आधार पर पंचायतों और अन्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के लिए अकाउन्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग के लिए एक अपेक्षाकृत सरल और समेकित सॉफ्टवेयर बनाये जाने की जरूरत को रेखांकित किया।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम : यह एक त्रिस्तरीय फायनेन्शियल मॉनीटरिंग सिस्टम है जिसमें जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाया जाता है। इस सिस्टम में पंचायतों द्वारा जरूरी और बुनियादी आंकड़े प्रविष्ट किये जाते हैं। इस व्यवस्था में निम्न बिन्दुओं की मॉनीटरिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है :-

- आवण्टित कोष (एलोकेटेड फण्ड)
- कुल व्यय।
- पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति।
- विभिन्न प्रारूपों में कस्टमाईज्ड प्रारूप बनाना।
- योजना की मॉनीटरिंग और वित्तीय प्रगति की महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा प्रस्तावित आठ प्रतिवेदन तैयार करने में।
- पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर या कार्यालय प्रमुख द्वारा सबसे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सभी आने वाली घटनाओं और अद्यतन जानकारी देना।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम का व्यापक उद्देश्य आदर्श वित्तीय ई-गवर्नेन्स की स्थिति को सम्पूर्ण तथा अद्यतन अभिलेखों की मॉनीटरिंग द्वारा प्राप्त करना है। ग्राम पंचायत स्तर एवं उससे ऊपर के स्तर पर प्रत्येक लेन देन की मॉनीटरिंग होगी।

- आसानी से डाटा प्रविष्टी करना अर्थात् न्यूनतम प्रयास से न्यूनतम समय में वांछित डाटा प्रविष्ट करना।
- प्रयत्नों का दोहराव ना हो अर्थात् वो डाटा जो दूसरे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो उसे काफी हद तक इस सॉफ्टवेयर में ही शामिल कर लिया जाये।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय मॉनीटरिंग की रिपोर्ट का यह एकमात्र स्रोत हो।
- पी.एफ.एम.एस. का उद्देश्य विभिन्न स्तर पर आवण्टित कोष पर आधारित वित्तीय स्थिति को दर्शाना भी है।
- सी एण्ड ए जी द्वारा प्रस्तावित अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को तैयार करना और उसको मेन्टेन करना।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम में जानकारी प्राप्त करने का तरीका बेहद आसान बना दिया गया है। उपयोगकर्ता एक वाउचर की प्रवृष्टि करता है और वो इच्छित वित्तीय एवं एम.आई.एस. प्रतिवेदन प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में बजट अलाटमेन्ट, निर्माण कार्य आरंभ करने की स्थिति, 'वर्क मास्टर' के द्वारा निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति, फायनेन्शियल ट्रांजेक्शन बल्क डाटा व इम्पोर्ट वर्क बल्क डाटा इम्पोर्ट, रोजगार की ताजा स्थिति, कार्य की विस्तृत रिपोर्ट, बजट अलाटमेन्ट की रिपोर्ट और फण्ड अलाटमेन्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है।

'पंचायत दर्पण' में होती हैं व्यापक जानकारियाँ - मध्यप्रदेश में पंचायतों से संबंधित जानकारियों का 'पंचायत दर्पण' एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल है। 'पंचायत दर्पण' में निम्न प्रोफाइल से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है जो एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। पंचायत दर्पण जो जानकारी प्रदान करता है वो इस प्रकार है :

- पचास जिला पंचायतों, तीन सौ तेरह जनपद पंचायतों और तेईस हजार छः ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल।
- पंचायत कार्यालयों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग।
- पंचायतों की विभिन्न योजनाओं के विवरण।
- पिछले तीन सालों की बजट आमंत्रण की जानकारी।
- पंचायतों के कोष एवं गतिविधियाँ।
- उपयोगकर्ता का प्रबंध संबंधी मॉड्यूल।
- उपयोगकर्ता का सुरक्षा और प्रबंध से जुड़ा वर्क-फ्लो।

इसी प्रकार 'पंचायत दर्पण' में मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम के अंतर्गत

निम्न जानकारियाँ रखी जाती हैं ;

- मानव संसाधन प्रबंध एवं सूचना प्रणाली संबंधी जानकारियाँ।
- लीगल और कोर्ट केस प्रबंध की जानकारियाँ।
- प्रशिक्षण केन्द्र प्रबंधन की जानकारियाँ।
- ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रबंधन की जानकारी।

इस प्रकार 'पंचायत दर्पण' वेबसाइट पंचायत राज संस्थाओं को दिये जाने वाले सभी कोष की जानकारी भी संग्रहित रखता है। यह वेबसाइट और सॉफ्टवेयर केवल दो सरल सिद्धांतों पर काम करता है। यह सिद्धांत हैं केवल दो इनपुट फार्मेट - केश बुक और वर्क रजिस्टर ही पंचायत स्तर पर संधारित करना और बाकी सारे डाटा इसी सॉफ्टवेयर से उत्पन्न करना ताकि पंचायतों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ, समुचित एकाउन्टिंग और कार्य स्थिति की जानकारी सुनिश्चित की जा सके।

'पंचायत दर्पण' में निम्न आठ प्रारूपों में नौ भिन्न-भिन्न जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है:

- **प्रारूप एक -** प्राप्तियों और भुगतान के लेखे : प्राप्तियाँ और भुगतान के लेखों का यह प्रतिवेदन एक निश्चित समयावधि का भिन्न-भिन्न स्थान के लिए देखा जा सकता है।
- **प्रारूप दो -** कान्सोलडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर : एक निश्चित समयावधि का भिन्न-भिन्न स्थानों का कान्सोलडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर भी इस एक प्रारूप में देखा जा सकता है।
- **प्रारूप तीन -** बैंक समाशोधन रजिस्टर : यह रजिस्टर भी एक निश्चित समयावधि में बैंक समाशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता एक्सल शीट से डाटा इम्पोर्ट कर सकता है वह बैंक समाशोधन प्रपत्र से भी डाटा इम्पोर्ट कर सकता है। इससे समाशोधित राशि तथा समाशोधन से शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
- **प्रारूप चार -** प्राप्ति योग्य राशियों का प्रपत्र : एक निश्चित समयावधि में भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्ति योग्य राशियों का

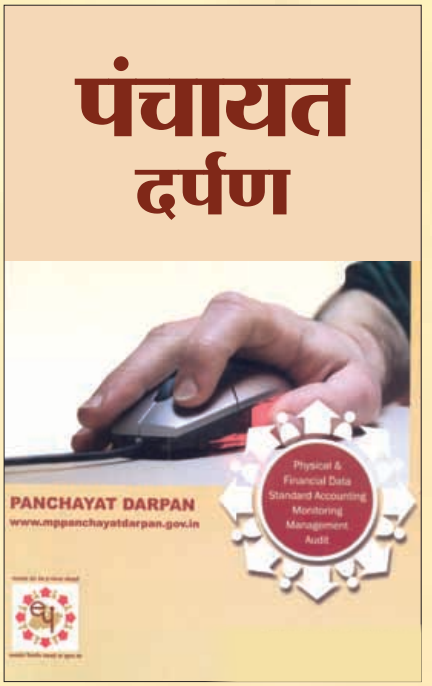

प्रपत्र भी एक प्रतिवेदन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- **प्रारूप पांच -** भुगतान योग्य राशियों का प्रपत्र : एक निश्चित समयावधि में भिन्न-भिन्न स्थानों से भुगतान योग्य राशियों के प्रपत्र भी प्रतिवेदन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **प्रारूप पाँच -** अचल आस्तियों की पंजी : इसे वेबसाइट पर एक पृथक कार्यक्रम, आस्ति समूह, आस्ति संवर्ग और वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों को देखा जा सकता है।
- **प्रारूप छ -** चल आस्तियों की पंजी : इस वेबसाइट पर एक पृथक कार्यक्रम, आस्ति समूह, आस्ति संवर्ग और वित्तीय वर्ष की चल आस्तियों को देखा जा सकता है।
- **प्रारूप सात -** इन्वेन्टरी रजिस्टर : एक खास समूह अथवा एक खास वस्तु का 'इन्वेन्टरी रजिस्टर' भी इस सॉफ्टवेयर में होता है।
- **प्रारूप आठ** - डिमाण्ड कलेक्शन एण्ड बेलेन्स रजिस्टर : एक विशेष वित्तीय वर्ष और देयक के लिए डिमाण्ड कलेक्शन एण्ड बेलेन्स रजिस्टर भी इस सॉफ्टवेयर में देखा जा सकता है।

सॉफ्टवेयर के प्रभावी परिणाम : पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर ने कम समय में ही काफी प्रभावी परिणाम दिये हैं। यह सॉफ्टवेयर जब समवर्ती अंकेक्षक को प्रस्तुत किया गया ताकि वे अपने सुझाव व टिप्पणी दें तो उन्होंने भी सामान्य रूप से डाटा संग्रहण की प्रशंसा की। इन अर्थों में भी यह सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम जानकारी होने पर इससे अधिकतम संख्या में सूचनाएं और प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं।

सॉफ्टवेयर का प्रभाव : पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर का प्रभाव यह हुआ कि सारी व्यवस्था पारम्परिक वाउचर इन्ट्री वाले स्वरूप से सरलीकृत प्रविष्टी स्वरूप में तब्दील हो गई है जिससे उपयोगकर्ता को आसानी से बिना चूक अथवा गलती के प्रविष्टी करना आसान हो गया है। इस सॉफ्टवेयर से काउन्टिंग एन्ट्री करते समय एम.आई.एस. डाटा को पाना आसान हो गया है। इतना ही नहीं इस व्यवस्था में अलग-अलग उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार अलग-अलग एन्ट्री फार्म्स भी उपलब्ध होते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सरलीकृत व्यवस्था से प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग डबल एन्ट्री सिस्टम के अनुसार एकाउन्ट बुक्स का संधारण होता है। सरलीकृत ढंग से लेन देन की प्रविष्टि होने से विभिन्न वित्तीय प्रतिवेदन विशेष तौर पर कन्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल द्वारा मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एमआईएस के आठ पूर्व निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना भी संभव हो जायेगा। पी.एफ.एम.एस. के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिए भी काफी कम प्रयत्न करना होता है।

यह सॉफ्टवेयर विभाग में भौतिक एवं वित्तीय तारतम्य कायम करता है, निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनीटरिंग को संभव बनाता है, इससे बेहतर फायनेन्शियल ई-गवर्नेन्स की स्थिति बनती है क्योंकि सभी डाटा आम जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं।

इस सॉफ्टवेयर द्वारा समवर्ती अंकेक्षकों के लिए संगठित वित्तीय डाटा दिये जाते हैं जिससे अकाउन्टिंग से ज्यादा जोर ऑडिटिंग को दिया जाता है। इससे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सभी

पंचायत दर्पण : परिचय

- **वेब पोर्टल www. mppanchayatraj. gov.in**

  www.mppanchayatdarpan.gov.in 'पंचायत दर्पण' पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है एवं वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर विभिन्न योजना अंतर्गत किये गये कार्य के ब्यौरे को पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है।

- **वेब पोर्टल में प्रविष्टि के लिये समस्त जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड वितरित किये जा चुके हैं।**

पंचायत दर्पण पर प्रविष्टियां

- **पंचायत पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी स्केन फोटो के साथ।**
- **पंचायत की भौगोलिक जानकारी - क्षेत्रफल, जनसंख्या, पंचायत भवन की स्थिति उसके स्केन फोटो इत्यादि।**
- **कार्य मास्टर - विभिन्न योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य के तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के विवरण स्केन फोटो, स्केन माप पुस्तिका, स्केन बिल/वाऊचर के साथ।**
- **सरल प्रविष्टि - विभिन्न योजना एवं पंचायत निधि के अंतर्गत आय एवं व्यय विवरण (सामग्री क्रय, दुकान का किराया इत्यादि)।**
- **इस सॉफ्टवेयर में प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों का डाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 से लिया गया है।**
- **पंचायत स्तर पर केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट एवं सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है।**
- **योजनायें - 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, स्वकराधान, परफारमेंस ग्रांट, पंचायत निधि, सांसद/विधायक निधि और पंच-परमेश्वर, मनरेगा कन्वर्जेंस इत्यादि।**

योजनाओं और उसके अंतर्गत प्राप्त फण्ड को समेकित करने की प्रक्रिया भी सम्पन्न हो जाती है।

इसी प्रकार मॉनीटरिंग इन्फार्मेशन सिस्टम के अंतर्गत जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों एवं नक्शे के मुताबिक पंचायत का स्थान तय होने की स्थिति में उनके डाटा का रखरखाव भी पहले से और आसान हो गया है। इसी संदर्भ में कर्मचारियों की जानकारी, उन पर चलाई जा रही विभागीय जाँच की जानकारी भी शामिल है। सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण केन्द्र के रखरखाव की पद्धति भी दर्शाई गई है। इसमें प्रशिक्षण केन्द्रों की सभी जानकारी अधोसंरचना विकास और वित्तीय प्रबंधन की भी चर्चा है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - सी. एण्ड ए.जी. ने चार स्तरीय अकाउण्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन (वर्ष वार एवं उस तारीख को), रिसीप्ट एवं पेमेन्ट एकाउन्ट की रपट, कान्सिलिडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर, बैंक रीकंसीलेशन रजिस्टर, स्टेटमेन्ट ऑफ पेयबल, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेन्टरी, डिमाण्ड कलेक्शन और बैलेन्स रजिस्टर, इन्कम एण्ड एक्सपेन्डीचर अकाउन्ट और बैलेन्स शीट। इस सॉफ्टवेयर में लीगल एण्ड कोर्ट कैसेज वाले मामले में निजी व्यक्ति द्वारा फाइल प्रकरण और एम्पलाई द्वारा फाइल प्रकरणों का विवरण होगा।

'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल की गतिविधियाँ : इस वेब पोर्टल में निविदा दस्तावेज फाइल जिसे एक नम्बर से जोड़ा जाकर टेण्डर खोले भी जा सकते है। इस वेब पोर्टल में सूचना-पत्र, परिपत्र और उनके अद्यतन संस्करण भी डाले जाते हैं। इस वेब पोर्टल पर समाचार और मीटिंग-सेमीनार जैसी

गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और प्रशिक्षण के शेड्यूल भी अपलोड किये जाते हैं। पंच परमेश्वर योजना, बेकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड स्कीम, ई-पंचायत, मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना, स्व कराधान योजना, परफारमेन्स ग्राण्ट और अन्य योजनाएँ भी इस वेब पोर्टल पर हैं।

जीवन बने आसान समग्र से हर समाधान

पात्रता आधारित गवर्नेंस

समग्र पोर्टल से पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत परिवारों और परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। पोर्टल पर परिवार तथा परिवार के सदस्यों के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंकों का यूनिक समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंकों का यूनिक समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाता है। यह समग्र परिवार आई.डी. तथा सदस्य आई.डी. की जानकारी किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत परिवारों और परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। पोर्टल पर परिवार तथा परिवार के सदस्यों के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंकों का यूनिक समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंकों का यूनिक समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाता है। यह समग्र परिवार आई.डी. तथा सदस्य आई.डी. की जानकारी किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी डाटाबेस का उपयोग कर विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से शासन के मंशानुरूप पारदर्शी प्रशासन, योजनाओं के दोहरीकरण पर रोक, पात्रतानुसार योजना का लाभ, बार-बार आवेदन से मुक्ति एवं हितग्राही के द्वार पर सेवा आदि को साकार रूप दिया जा रहा है, जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस (Proactive Governance) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस आने के पूर्व जो प्रचलित व्यवस्था थी, उसे मांग आधारित गवर्नेंस कहा जा सकता है।

मांग आधारित गवर्नेंस (Demand Based Governance)- प्रायः विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्व में मांग आधारित व्यवस्था थी, जिसमें व्यक्ति को स्वयं कार्यालय तक जाना पड़ता था। वह किस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता था, उसे संबंधित कार्यालय को बताना पड़ता था, आवेदन करना होता था तथा यदि कार्यालय को समझ में आ गया तो प्रकरण में कार्यवाही हो जाती थी। अन्यथा वह व्यक्ति पुनः अन्य वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर काटता रहता था। यदि उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसका कार्य हो जाता था अन्यथा वह बिना सहायता प्राप्त किये रह जाता था, जिससे व्यक्ति का समय तो खराब होता ही था, साथ ही उसे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी।

दूसरी तरफ यदि कार्यालय में व्यक्ति का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता तो आवेदन के निराकरण हेतु एक लंबी कार्यालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, जिसमें पत्र आवक होने से लेकर लिपिक द्वारा प्रस्तुतीकरण तथा आदेश प्राप्ति हेतु अधिकारी को प्रस्तुत करना होता। फिर उक्त आवेदन जांच की प्रक्रिया से गुजरता। किसी को पाबंद किया जाता कि आवेदन की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इस हेतु एक कर्मचारी जांच हेतु भेजा जाता था। जांच के लिए जाने पर संबंधित स्थान पर यदि आवेदक मिल गया हो तो ठीक, अन्यथा फिर दुबारा जांच के लिए जाना होता। प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर उसे समिति के समक्ष रख कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करना, संबंधित का खाता खुलवाना आदि में कम से कम 4 से 6 माह का समय निकल जाता। हितग्राही के खाते में कभी राशि पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। कभी केश पेमेंट के नाम पर राशि उपलब्ध नहीं हो पाती आदि कई कठिनाईयां थीं।

मांग आधारित गवर्नेंस के तहत हितग्राहियों द्वारा महसूस की गई कठिनाईयां-

- हितग्राही को योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे व अनेक बार आवेदन करना होता था, जिससे व्यक्ति का समय तो खराब होता था, साथ ही उसे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी।
- कागजी कार्यवाही में काफी समय व अधिक मात्रा में कागज इत्यादि चीजों का नुकसान भी होता था।
- बार-बार सत्यापन की कार्यवाही से हितग्राही एवं शासकीय अमले को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
- कार्यालय द्वारा राशि वितरण में इतनी लापरवाही होती थी कि तीन-तीन माह में वितरण की कार्यवाही की जाती थी तथा 3

माह के बदले 1-2 माह की राशि देकर तीन माह पर हितग्राही के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ले लेते थे, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती थीं।

- मृत तथा फर्जी हितग्राहियों के नाम से राशि के गबन की शिकायतें भी प्राप्त होती थीं।
- शासन से बढ़ी हुई राशि हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती थी।
- नगद अथवा चैक के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता था, जिससे सही राशि पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी।
- हितग्राही आई.डी. ना होने के कारण मूल सूची से मिलान नहीं हो पाता था।
- योजनाओं के दोहरीकरण की संभावना भी अधिक रहती थी।
- हितग्राही को त्वरित लाभ प्राप्त नहीं होता था।
- नियम एवं प्रक्रिया में काफी जटिलता थी।
- पारदर्शिता का अभाव था।
- सहायता राशि प्राप्त होने में काफी समय लगता था।
- अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए अलग-अलग आवेदन करने होते थे।

पात्रता आधारित गवर्नेंस (Entitlement Governance)-

उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार एवं परिवार के सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया गया। मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त परिवारों (1.89 करोड़) तथा समस्त सदस्यों की मूलभूत जानकारी (नाम, आयु, जाति, बीपीएल, निःशक्तता, श्रमिक संवर्ग, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता इत्यादि) प्रपत्र के माध्यम से एकत्रित कर समग्र जनसंख्या पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है। इस प्रकार समग्र पोर्टल पर समस्त परिवार एवं परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी का एकीकृत डाटाबेस तैयार हुआ।

समग्र डाटाबेस पर दर्ज परिवार एवं व्यक्ति की प्रोफाइल का सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण कर पेंशन योजना अंतर्गत पात्रता के आधार पर संबंधित हितग्राही की पात्रता सुनिश्चित की गई। जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकायों द्वारा पात्र व्यक्ति की पहचान पोर्टल पर कर दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही कर हितग्राही को पेंशन स्वीकृत की जाती है। पात्रता आधारित गवर्नेंस के तहत पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल के अनुसार पेंशन योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति स्पष्ट देख सकेगा कि उसे किस योजना के तहत क्या पात्रता है तथा कितनी राशि की स्वीकृति दी जाना है। तदनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत तत्काल स्वीकृति जारी कर राशि सीधे संबंधित के खाते में तत्काल भेजी जा सकती है। अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए पृथक-पृथक आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस डाटाबेस के आधार पर शासन की विभिन्न हितग्राही तथा परिवार मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है, जो सुशासन की एक अभिनव पहल है।

समग्र पेंशन पोर्टल पर निम्न सुविधाएं एवं रिपोर्ट उपलब्ध हैं -

- **ऐसे व्यक्तियों की सूची जो पेंशन योजनाओं की शर्तों को पूर्ण करते हैं, किंतु पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।**

पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं करने का कारण व्यक्तियों को संभवतः योजनाओं की जानकारी का अभाव भी हो सकता है, जिसके कारण लाभ प्राप्त करने के लिये उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हो। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार साफ्टवेयर के द्वारा बहुत सारे ऐसे हितग्राही चिंहित किये गये हैं जो कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार इन योजनाओं में पात्रता रखते हैं, लेकिन यह भी संभव है, कि उपलब्ध जानकारी में कुछ त्रुटियां हों या वह जानकारी पूर्णतः त्रुटि रहित हो। प्रथम बार योजना का लाभ देने के लिये संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन पश्चात हितग्राही को पात्रतानुसार योजना का लाभ दिया जाता है। अतः सत्यापन पश्चात् ऐसे पात्र हितग्राहियों को योजनांतर्गत लाभांवित किया जा सकता है।

- **ऐसे व्यक्ति जो दो माह में योजना की शर्तों को पूर्ण करेंगे**

पोर्टल पर ऐसे हितग्राहियों की सूची उपलब्ध है जो आगामी दो माह में पात्रता के आधार पर किसी पेंशन की योजना हेतु पात्र होंगे। अतः उन हितग्राहियों का इस अवधि में सत्यापन किया जाकर जैसे ही अवधि पूर्ण होती है, उन्हें लाभांवित किया जा सकता है।

- **पेंशन के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा**

समग्र पोर्टल पर परिवार एवं सदस्यों के पंजीयन का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है व बीपीएल सत्यापन भी स्थानीय निकाय द्वारा ही किया गया है। अतः समग्र पेंशन पोर्टल पर पात्रता के आधार पर कोई भी पात्र व्यक्ति समग्र आई.डी. की सहायता से पात्रतानुसार योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को पृथक से पोर्टल पर किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करते समय व्यक्ति का मोबाइल नम्बर व बचत खाता नम्बर प्रविष्ट कराया जाना आवश्यक किया गया है।

पेंशन पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकायों को रियल टाइम (तत्काल) उपलब्ध कराई जाती है, संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट निकालकर आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय को 5 कार्य दिवसों में जांच व भौतिक सत्यापन हेतु भेजा जाता है। जांच हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच व भौतिक सत्यापन (आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, निःशक्तता, बचत खाता नम्बर इत्यादि) करवाकर 20 कार्य दिवस में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाता है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत (कारण सहित) किया जाता है। स्वीकृत व अस्वीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संधारण पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

● **अजीत कुमार**
मिशन संचालक, समग्र

गाँधी जयन्ती पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गांधी जयन्ती के अवसर पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज और युवाओं में बढ़ती मद्यपान और नशा वृत्ती को रोकना और उन्हें इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष नं. 0755-2556916, फैक्स नं. 0755-2552665
Email : dpswbpl@nic.in

क्रमांक/एफ-1-31/नशाबंदी/2015-16/181 **भोपाल, दिनांक 09.09.2015**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।

विषय :- गांधी जयंती पर "मद्य निषेध सप्ताह" (2 से 8 अक्टूबर, 2015) का आयोजन बाबत्।

गाँधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2015 तक "मद्य निषेध सप्ताह" का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों से छात्र/छात्राओं एवं समाज को अवगत कराना है, ताकि मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु वातावरण एवं चेतना निर्माण हो सके। इस अवसर पर वृहद जनजागृति कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाकर, जिले से ग्राम पंचायत स्तर तक दिवस का आयोजन कर, शहरी/ग्रामीण जनता को मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन की बुराईयों से अवगत कराया जावे, ताकि वे नशा सेवन करना छोड़ सके तथा अपने क्षेत्रों में नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर सके।

2. इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो सकें। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं आयोजित कर जन-जन को नशामुक्ति हेतु प्रेरित किया जावे।

3. प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन गृह विभाग के पत्र क्र./डी 4218/आर-4351/2011/दो/सी-1 दिनांक 20 सितम्बर 2011 से किया गया है। इस समिति की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों का निर्धारण कर आयोजन कराया जावे।

4. मद्य निषेध सप्ताह के आयोजन में निम्न कार्यक्रमों को किया जा सकता है :-

1. मद्य निषेध की प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना।
2. मद्य निषेध/नशाबंदी से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित करना।
3. मद्य निषेध सप्ताह के दौरान समस्त उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के सहयोग से कार्यक्रम जैसे :- प्रभात फेरी, शराब से होने वाली हानियों पर वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला, नारे एवं निबंध प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ तथा सेमीनार का आयोजन करना।
4. जिले में शासकीय कलापथक दल एवं अशासकीय कलामंडलियों के माध्यम से मद्यनिषेध/नशाबंदी से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन करना।
5. मान्यता प्राप्त/अनुदान प्राप्त संस्थाएं नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको भी भागीदारी करने हेतु उन्हें लिखें। जो संस्थाएं भागीदारी

करें उनकी जानकारी प्रपत्र में दी जावे।

6. जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जावे।

अतः आपके जिले में उक्त अनुसार मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन कर, शराब एवं मादक द्रव्य/पदार्थों से होने वाली हानियों से जन सामान्य को अवगत कराकर नशाबंदी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मद्य निषेध सप्ताह आयोजन उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 15.10.2015 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न : प्रपत्र

(डॉ. एम. मोहन राव)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

मद्यनिषेध सप्ताह दिनांक 2 से 8 अक्टूबर, 2015 का आयोजन की जानकारी
प्रपत्र

जिले का नाम .....

क्रमांक	आयोजित कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या	भागीदार व्यक्तियों की संख्या	किन संस्थाओं ने भाग लिया नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मद्यनिषेध प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना				
2.	नशामुक्ति सेमीनार				
3.	रैली				
4.	नशाबंदी प्रदर्शनी				
5.	विभिन्न प्रतियोगिताएँ				
6.	कलापथक दलों के कार्यक्रम				
7.	नशामुक्ति केम्प				
8.	पम्पलेट/साहित्य वितरण				
9.	अन्य				

संक्षिप्त टीप :–

(अधिकारी का नाम)
संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय .....